

सामान्य समीक्षा

घटनाक्रम की समीक्षा

वृहद् आर्थिक सिंहावलोकन

भूमिका

1.1 वर्ष 1998–99 में 6.6 प्रतिशत और वर्ष 1999–2000 में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2000–2001 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (संघ०३) में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान है। लगातार दूसरे वर्ष में भी वृद्धि दर में कमी के बावजूद भारत विश्व में तीव्रतम गति बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला एक देश है। पिछले दो वर्षों के दौरान कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय समुद्धान शक्ति का प्रदर्शन किया है। प्रमुख वृहद् आर्थिक प्राचलों की व्यवहारगत प्रवृत्तियां संक्षेप में सारणी 1.1 तथा 1.2 में दी गई हैं।

1.2 संघ०३ की वृद्धि दर वर्ष 2000–01 में समग्र रूप से कम होकर 6 प्रतिशत पर रहना मुख्यतः सेवा क्षेत्रक की वृद्धि दर की गिरावट के कारण है जो वर्ष 1999–2000 के 9.6 प्रतिशत से कम होकर चालू वर्ष में 8.3 प्रतिशत रह गई है। सेवाओं में यह सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा समूह हैं जिनमें तेजी से गिरावट आने की संभावना है। मूल्य वर्धित वृद्धि के अनुसार उद्योग एवं कृषि दोनों तथा सहयोगी क्षेत्रकों द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने की आशा है।

1.3 औसत वर्षा के आधार पर लगातार तेरहवें वर्ष में सामान्य मानसून के बावजूद वर्ष 2000–01 में कृषि-उत्पादन की संभावनायें उज्ज्वल नहीं हैं क्योंकि सभी क्षेत्रों में समय पर वर्षा की स्थिति अपेक्षितया समान रूप से अनुकूल नहीं रही है जिससे देश के कुछ भागों में बाढ़ तो कुछ में सूखे की स्थिति रही है। खाद्यान्न उत्पादन का स्तर वर्ष 1999–2000 के 208.9 मिलियन टन के रिकार्ड

उत्पादन की तुलना में कम होकर वर्ष 2000–01 में 199 मिलियन टन होने की आशा है। इसके कारण चालू वर्ष में सम्पूर्ण कृषि उत्पादन में गिरावट की संभावना है। परन्तु सम्मिलित रूप से कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रकों में मूल्यवर्धित वृद्धि के संदर्भ में यह वर्ष 1999–2000 के 0.7 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2000–01 में 0.9 प्रतिशत होने की आशा है।

1.4 स.घ.उ. के पूर्वानुमान खनन एवं खदान, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति तथा निर्माण क्षेत्र का निष्पादन वर्ष 1999–2000 की तुलना में चालू वर्ष में बेहतर होने का संकेत देते हैं। इन समूहों के कुछ-कुछ अच्छे निष्पादन के कारण यह आशा की जाती है कि विनिर्माण की वृद्धि दर में कमी के बावजूद चालू वर्ष में उद्योग क्षेत्रक की अधिक वृद्धि होगी। सेवाओं, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार के मामले में वृद्धि गत वर्ष की तरह होने का अनुमान है। वित्तीय, स्थावर संपदा एवं कारोबार सेवाओं द्वारा वर्ष 1999–2000 के 10.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2000–01 में वृद्धि दर कम होकर 9.6 प्रतिशत होने की आशा है। सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवा समूह द्वारा वर्ष 1999–2000 के 11.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2000–01 में तेजी से गिरावट होकर 7.6 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना है। इस क्षेत्रक में संभावित गिरावट का कारण पिछले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित अधिक वेतन (बकाया धनराशि) है।

1.5 वर्ष 2000–01 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर ने ऊर्जा मूल्यों के दबाव के कारण बढ़ोत्तरी का रुख प्रदर्शित किया है। सितम्बर 2000 तक मुद्रास्फीति दर 6 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रही जब ईंधन उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में बढ़ोत्तरी ने मुद्रास्फीति बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2000 को समाप्त सप्ताह में 7.8 प्रतिशत पर पहुंचा दी थी। 27 जनवरी 2001 को मुद्रास्फीति दर बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर लगभग 8.2 प्रतिशत (गत वर्ष की इसी तारीख को 3.6 प्रतिशत की

सारणी 1.1 मुख्य संकेतक									
	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	
	संपूर्ण मूल्य				पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन				
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)									
वर्तमान कीमतों पर 1993-94 की कीमतों पर	1376.8 1005.6	1601.1 अ 1071.1 अ	1771.0 क्यू 1140.4 क्यू	1972.7 अअ 1209.6 अअ	11.9 4.8	16.3 अ 6.5 अ	10.6 क्यू 6.5 क्यू	11.4 अअ 6.1 अअ	
सकल घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)									
वर्तमान कीमतों पर 1993-94 की कीमतों पर	1390.0 1016.3	1616.0 अ 1083.0 अ	1786.4 क्यू 1152.0 क्यू	1989.5 अअ 1221.2 अअ	11.8 4.8	16.3 अ 6.6 अ	10.5 क्यू 6.4 क्यू	11.4 अअ 6.0 अअ	
कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रक (करोड़ रुपए)									
1993-94 की कीमतों पर	269383	288401 अ	290334 क्यू	293050 अअ	-2.4	7.1 अ	0.7 क्यू	0.9 अअ	
कृषि उत्पादन का सूचकांक(1)	165.3	178.1	176.8 अ	170.6 अ	-6.1	7.7	-0.7 अ	-3.5 अ	
खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	192.3	203.5	208.9 अ	199.0 अ	-3.6	5.8	2.7 अ	-4.7 अ	
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक(2)	139.5	145.2	154.7	159.6 #	6.7	4.1	6.5	5.7 #	
उत्पन्न बिजली (बिलियन के डब्ल्यू एच)	421.7	448.6	480.7	372.6 #	6.5	6.4	7.2	4.7 #	
थोक मूल्य सूचकांक (3)	134.6	141.7	150.9	158.1 *	4.5	5.3	6.5	8.2 *	
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (5)	380.0	414.0	434.0	446.0 @	8.3	8.9	4.8	3.5 @	
मुद्रा आपूर्ति (एम 3) (हजार करोड़ रुपए)	821.3	981.0	1117.2 अ	1262.2(6)	18.0	19.4	13.9	15.8(6)	
वर्तमान कीमतों पर आयात (करोड़ रुपए)	154176	178332	204583 अ	173116 #	11.0	15.7	14.7 अ	14.3 #	
(मिलियन अमरीकी डालर)	41484	42389	47212 अ	38150 #	6.0	2.2	11.4 अ	9.0 #	
वर्तमान कीमतों पर निर्यात (करोड़ रुपए)	130101	139753	162925 अ	146552 #	9.5	7.4	16.6 अ	26.4 #	
(मिलियन अमरीकी डालर)	35006	33218	37599 अ	32266 #	4.6	-5.1	13.2 अ	20.4 #	
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (7)									
(करोड़ रुपए)	102507	125412	152924	178032(8)	27.5	22.3	21.9	16.4(8)	
(मिलियन अमरीकी डालर)	25975	29522	35058	38361(8)	16.1	13.7	18.8	9.4(8)	
विनियम दर (रुपए/अमरीकी डालर)(9)	37.16	42.07	43.33	45.51(10)	-4.5	-11.7	-2.9	-4.8 (10)	
टिप्पणी—सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े उपादान लागत के अनुसार हैं (आधार वर्ष 1993-94)। क्यू—त्वरित अनुमान अ.अ.—अग्रिम अनुमान अ—अनंतिम									
* 27.1.2001 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)। @ दिसंबर 2000 तक # अप्रैल-दिसंबर, 2000									
1. कृषि उत्पादन का सूचकांक (46 फसलों का, रोपण फसलों सहित) आधार 1981-82 को समाप्त वर्ष त्रय = 100									
2. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक आधार 1993-94=100									
3. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1993-94 = 100)									
4. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1982= 100)									
5. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।									
6. 12 जनवरी 2001 की स्थिति के अनुसार।									
7. राजकोषीय वर्ष के अंत में बकाया।									
8. जनवरी, 2000-01 के अंत में।									
9. प्रतिशत परिवर्तन अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की वृद्धि/हास (-) दर को दर्शाता है।									
10. अप्रैल-जनवरी, 2000-01 की औसत।									

तुलना में) और 52 सप्ताह के औसत आधार पर 6.6 प्रतिशत (पिछले वर्ष की इसी तारीख को 3.4 प्रतिशत की तुलना में) थी। मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्यतः ईंधन, पावर, बिजली एवं लुब्रिकैन्ट समूह के कारण हुई जिसकी 27 जनवरी, 2001 को बिन्दु-दर-बिन्दु वार्षिक मुद्रास्फीति 29.6 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की 16.2 प्रतिशत की तुलना में है। यदि ईंधन समूह की कीमतों में यह तीव्र वृद्धि न होती तो इस वर्ष की बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर 8.2 प्रतिशत की प्रेक्षित दर से आधी होती। ईंधन, विद्युत, बिजली तथा लुब्रीकेंट समूह को शामिल न करने पर 27 जनवरी, 2001 को बिन्दु-दर-बिन्दु वार्षिक मुद्रास्फीति 2.4 प्रतिशत (29 जनवरी, 2000 को 1.5 की तुलना में) पर मंद थी। वित्तीय वर्ष के दौरान 27 जनवरी, 2001 को संचरी मुद्रास्फीति दर वर्ष 1999-2000 की इसी अवधि के दौरान 3 प्रतिशत की तुलना में 4.8 प्रतिशत थी। इस प्रवृत्ति को देखते हुए थो॰मू॰सूच॰ के संदर्भ में मुद्रास्फीति की वर्षान्त औसत दर लगभग 6.5-7.0 प्रतिशत होने की आशा है।

1.6 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी॰पी॰आई॰) के संदर्भ में मुद्रास्फीति दर वर्ष के दौरान लगातार कम होकर नवम्बर, 2000 में 2.7 प्रतिशत पर आ गयी जो नवम्बर, 1999 में शून्य प्रतिशत पर थी। दिसम्बर, 2000 में यह सूचकांक बढ़कार 3.5 प्रतिशत हो गया। बारह महीनों के औसत आधार पर वर्ष 2000 के लिए यह मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत बनती है जो वर्ष 1999 में 4.7 प्रतिशत की तुलना में है।

1.7 वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकार की राजकोषीय स्थिति दबाव में रही जिसका कारण चुनावों पर अप्रत्याशित व्यय, कश्मीर में 50 दिवसीय युद्ध और उड़ीसा में अतिचक्रवात हैं। केन्द्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 1998-99 में संघ॰उ॰ के 5.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में संघ॰उ॰ का 5.5 प्रतिशत हो गया।

1.8 वर्ष 2000-01 के केन्द्रीय बजट में राजकोषीय धाटे को वर्ष 1999-2000 के 5.5 प्रतिशत (अनन्तिम एवं अलेखापरीक्षित) से कम करके संघ॰उ॰ के 5.1 प्रतिशत पर लाने की परिकल्पना की गई थी। जहां तक राजस्वों का सवाल है प्रत्यक्ष कर वसूलियों में संपूर्ण चालू वर्ष के दौरान तेजी बनी रही। परन्तु अप्रत्यक्ष कर वसूलियों के मामले में औद्योगिक विकास की मंदी, तेल-भिन्न-आयातों की ऋणात्मक वृद्धि दर, लघु क्षेत्रक के लिये उत्पाद शुल्क लगाने की छूट सीमा में वृद्धि और तेल उत्पादों पर कम किये गये शुल्कों के कारण कुछ कमी रही है। विनिवेश प्राप्तियों में भी काफी कमी रही है। फिर भी योजना-भिन्न एवं पूँजी-भिन्न व्यय कम करने के लिये सरकार द्वारा किये गये

विभिन्न मितव्ययिता उपायों से व्यय एवं समग्र राजकोषीय धाटे को नियंत्रण में रखने में मदद मिली है।

1.9 विदेशी क्षेत्र के मामले में निर्यातों के संदर्भ में वर्ष 1998-99 में शून्य वृद्धि की तुलना में वर्ष 1999-2000 में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने के कारण तेल आयात बिल में 63 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद वर्ष 1999-2000 में चालू खाता घाटा संघ॰उ॰ के 0.9 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया।

1.10 व्यापार उदारीकरणों, टैरिफ में कमी और सूचना-प्रौद्योगिकी जैसे निर्यातानुमुखी क्षेत्रकों में विदेशी निवेश के अधिक खुलेपन के साथ रूपये के मूल्यहास के कारण वर्ष 2000-01 में निर्यात में और आगे वृद्धि हो गई। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अक्तूबर-नवम्बर, 2000 में “इंडिया मिलेनियम डिपाजिट” का निर्गम काफी सफल रहा और इसने विदेशी मुद्रा में 5.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की धनराशि जुटाई। जनवरी, 2001 के अंत तक विदेशी मुद्रा रिजर्व का स्तर (सोने और एस.डी.आर. सहित) लगभग 41.1 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया।

1.11 भारतीय बैंक द्वारा वर्ष 2000-01 के लिए संकलित सरकारी बी॰ओ॰पी॰ आंकड़े केवल वर्ष के पूर्वार्ध के हैं। इन अनुमानों के अनुसार व्यापार घाटा अप्रैल-सितम्बर, 1999 के 7.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-सितम्बर, 2000 में 9.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। निवल अदृश्य सेवाओं का अंतर्प्रवाह भी 4.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 5.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है जिससे वर्तमान खाता घाटा इसी अवधि के दौरान 2.9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर लगभग 4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। पूँजी खाते के मामले में निवल पूँजी अंतर्प्रवाहों में अप्रैल-सितम्बर, 2000 के दौरान निवल विदेशी सहायता और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के बहिर्वाह और तथा विदेशी निवेश में कमी के कारण अप्रैल-सितम्बर, 1999 के 3.7 बिलियन अमरीकी डालर से निवल पूँजी अंतर्वाह कम होकर अप्रैल-सितम्बर 2000 में 2.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इसके फलस्वरूप अप्रैल-सितम्बर, 2000 के दौरान विदेशी मुद्रा रिजर्व 1.5 बिलियन डालर कम हो गया। परन्तु आई॰एम॰डी॰ के सफल निर्गम के बाद विदेशी मुद्रा रिजर्व बढ़ने लगा।

1.12 चालू वर्ष के बी॰ओ॰पी॰ ट्रॉफिकोण का अनन्तिम मूल्यांकन यह प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2000-2001 में चालू खाता घाटा वर्ष 1999-2000 में सकल घंड़ के 0.9 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर लगभग 1.5-1.7 प्रतिशत हो जायेगा। इसका मुख्य कारण वर्ष 1999 के प्रारम्भ और वर्ष 2000 के मध्य के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय

सारणी 1.2
मुख्य वृहद आर्थिक संकेतकों की प्रवृत्तियां – 1990-91 से 2000-01

मद	1990-91	1991-92	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
1. वृद्धि दर (प्रतिशत)						
सतत उत्पादन लागत पर स.घ.उ.	5.6	1.3	4.8	6.6अ	6.4क्यू	6.0अअ
औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी)	8.2	0.6	6.7	4.1	6.6	5.7क
जिसमें से, विद्युत	7.8	8.5	6.6	6.5	6.6	4.8क
कृषीय उत्पादन	3.8	-2.0	-6.1	7.7	-0.7अ	-3.5अ
खाद्यान्न उत्पादन	3.1	-4.5	-3.6	5.8	2.7अ	-4.7अ
निर्यात (मिलिं अम० डालर के रूप में भुगतान संतुलन)	9.0	-1.1	4.5	-3.9	11.6	20.4ख
आयात (मिलिं अम० डालर के रूप में भुगतान संतुलन)	14.4	-24.5	4.6	-7.1	16.5	9.0ख
जिसमें से पैट्रोलियम तेल एवं स्नेहक	60.0	-11.7	-18.7	-21.6	63.8	78.2ख
2. खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	176.4	168.4	192.3	203.5	208.9	199.0ई
3. उत्पन्न विद्युत (मिलियन के.डब्ल्यू.एच.)	264.3	287.0	421.7	448.6	480.7	372.6ग
4. औसत विनियम दर (रुपए/मि. अमरीकी डालर)	17.94	24.65	37.17	42.07	43.33	45.51घ
5. मुद्रापूर्ति की वृद्धि दर (एम 3)	15.1	19.3	18.0	19.4	13.9	15.8ड
6. मुद्रास्फीती की औसत दर (प्रतिशत)						
थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में	12.1	13.6	4.8	6.9	3.3	6.6च
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में	13.6	13.9	6.8	13.1	3.4	4.0छ
7. चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में :						
सकल घरेलू बचत (जीडीएस)	23.1	22.0	23.5	22.0	22.3	
सकल घरेलू निवेश (जीडीआई)	26.3	22.5	25.0	23.0	23.3	
केन्द्र सरकार का व्यय	17.3	16.2	14.2	14.6	15.3पीयू	15.5ब.अ.
केन्द्र सरकार की प्राप्तियां	15.3	15.2	14.2	14.6	15.3पीयू	15.5ब.अ.
केन्द्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा	6.6	4.7	4.8	5.1	5.5पीयू	5.1ब.अ.
निर्यात एफओबी (भुगतान संतुलन)	5.8	6.9	8.7	8.2	8.5	
आयात सीआईएफ (भुगतान संतुलन)	8.8	7.9	12.5	11.4	12.3	
व्यापार संतुलन	-3.0	-1.0	-3.8	-3.2	-3.8	
निवल अदृश्य	-0.1	0.7	2.4	2.2	2.9	
चालू लेखा बकाया	-3.1	-0.3	-1.4	-1.0	-0.9	
कुल पंजी प्रवाह	2.7	1.7	2.3	1.9	2.3	
कुल विदेशी निवेश निवल (भुगतान संतुलन)	0.03	0.05	1.3	0.6	1.1	
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) निवल	0.03	0.05	0.9	0.6	0.4	
पोर्टफोलियो निवेश	नग.	नग.	0.4	-0.02	0.7	
8. विदेशी ऋण के प्राचल						
विदेशी ऋण/स.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	28.7	38.7	24.3	23.6	21.9	20.7ज
ऋण शोधन अनुपात (प्रतिशत)	35.3	30.2	19.0	18.0	16.0	
ऋण/निर्यात अनुपात	454	467	262	285	257	
कुल ऋण के प्रति अल्पावधि ऋण अनुपात (%)	10.2	8.3	5.4	4.5	4.1	4.6ज
9. विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमरीकी डालर)	5.8	9.2	29.4	32.5	38.0	41.1*
विदेशी मुद्रा भंडार का आयात 'कवर'	2.5	5.3	6.9	8.2	8.2	
(आयात के महीनों की संख्या)						
अअ = अग्रिम अनुमान, अ = अनंतिम अनुमान, क्यू = त्वरित अनुमान, पीयू = अनंतिम तथा अलेखापरीक्षित (व्यय विभाग के महालेखानियत्रक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)						
स.अ. - संशोधित अनुमान, ब.अ. बजट अनुमान, ई-अनुमानित						
नग = नगण्य						
क = अप्रैल-दिसंबर 2000 के दौरान						
ख = अप्रैल-दिसंबर 2000 के दौरान (डीजीसीआई एंड एस आंकड़े)						
ग = अप्रैल-दिसंबर 2000 के दौरान						
घ = अप्रैल-दिसंबर 2000-01 का औसत						
ड = 12 जनवरी 2001 को वार्षिक वृद्धि दर						
च = 27 जनवरी 2001 की स्थिति के अनुसार						
छ = दिसंबर 2000 के लिए						
ज = सितंबर 2000 के अंत में						
* = जनवरी 2001 के अंत में						

तेल कीमतों का तिगुना हो जाने से भारत के तेल आयात बिल में काफी बढ़ोत्तरी होना है। दूसरी और तेल भिन्न आयात वृद्धि में कमी बनी रही परन्तु निर्यातों में तेजी बने रहने की आशा है जैसा कि अप्रैल-दिसम्बर 2000 के लिए वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा दर्ज 20.4 प्रतिशत अमरीकी डालर मूल्य में) की वृद्धि दर से प्रदर्शित होता है। ब्याज, लाभांश, रायलटी भुगतान के मामले में व्यय की सामान्य बढ़ोत्तरी के बावजूद अदृश्यों से निवल प्राप्ति लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर होने की आशा है जिसमें साफ्टवेयर सेवा निर्यातों एवं निजी अंतरणों की निरन्तर तेजी से और बढ़ोत्तरी होगी। फिर भी चालू खाता घाटा प्रत्याशित निवल पूंजी प्राप्ति की तुलना में अधिक होगा।

सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ

1.13 समग्र संघर्ष की वृद्धि दर में मामूली रूप से कमी आयी जो वर्ष 1998-99 के 6.6 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1999-2000 में 6.4 प्रतिशत हो गयी थी जिसका मुख्य कारण वर्ष 1999-2000 में खाद्यान्न उत्पादन के रिकार्ड स्तर के बावजूद कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रक की वृद्धि दर वर्ष 1998-99 के 7.1 प्रतिशत से काफी कम होकर वर्ष 1999-2000 में केवल 0.7 प्रतिशत रह जाता था (सारणी 1.3)। परन्तु वर्ष 1999-2000 में बिजली, गैस और जल आपूर्ति को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी अन्य बड़े क्षेत्रकों की वृद्धि दर में तेजी आई। औद्योगिक मल्यवर्द्धन के समग्र

विकास में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जो वर्ष 1998-99 के 3.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 6.4 प्रतिशत हो गया था। इस वृद्धि का कारण विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 1998-99 के मात्र 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से मूल्यवर्धन होकर वर्ष 1999-2000 में 6.8 प्रतिशत होना और इसी अवधि को दौरान निर्माण क्षेत्रक की वृद्धि 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 8.1 प्रतिशत होना है। औद्योगिक क्षेत्रक के अन्तर्गत जहाँ खनन और खदान ने वर्ष 1999-2000 में कुछ सुधार दिखाया, वहाँ बिजली, गैस और जल-आपूर्ति की वृद्धि दर में काफी गिरावट आई।

1.14 सेवा क्षेत्रकों का निष्पादन भी वर्ष 1999-2000 में असाधारण रूप से अच्छा रहा। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार की औसत वृद्धि दर वर्ष 1998-99 के 7.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 8 प्रतिशत हो गयी थी और इसी अवधि के दौरान वित्तीय स्थावर सम्पदा एवं कारोबार सेवाओं की औसत वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.1 प्रतिशत हो गयी थी। सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं में भी वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 में काफी अधिक तेजी से वृद्धि हुई।

1.15 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष 2000-01 के संघर्षों के अग्रिम अनुमान चालू वर्ष में 6 प्रतिशत की कम संघर्षों वृद्धि दर का संकेत देते हैं। यह गिरावट सेवा

क्षेत्रक का निम्नतर वृद्धि को आरोप्य है। तथापि, उद्योग सहित कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रकों में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से उच्च मल्यवर्धित वृद्धि दर्ज किए जाने की सम्भावना है।

मांग घटक

उपभोग, बचत तथा निवेश

1.16 मांग पक्ष में, वास्तविक उपभोग संवृद्धि वर्ष 1998-99 के 7.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999-2000 में 5.8 प्रतिशत हो गयी, जो कि मुख्यतया निजी खपत वृद्धि दर के वर्ष 1998-99 के 7.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999-2000 में 4.1 प्रतिशत हो जाने के कारण हुआ, यद्यपि इसी अवधि के दौरान सरकारी उपभोग व्यय में अधिक वृद्धि दर्ज की गई। सकल घरेलू पूँजी निर्माण की वृद्धि दर में वर्ष 1998-99 के मात्र 2.3 प्रतिशत से वर्ष 1999-2000 में 9.4 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई (सारणी 1.4)।

1.17 भारत में इसके आर्थिक विकास के स्तर द्वारा यथामापित निवेश एवं बचत की दरों अधिक हैं। सरकारी क्षेत्र में ऋणात्मक बचतों के कारण स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप के सकल घरेलू बचत वर्ष 1997-98 के 23.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1998-99 में 22.0 प्रतिशत पर आ गई। सतत आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति की निम्न दरों तथा घरेलू क्षेत्र की बेहतर निष्पादन के परिणामस्वरूप सकल घरेलू बचतें वर्ष 1999-2000 में मामूली रूप से बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1999-2000 में निजी कॉर्पोरेट बचतें स.घ.उ. के 3.7 प्रतिशत पर स्थिर रहीं। तथापि, वृहत् राजस्व घटेके कारण सरकारी प्रशासनिक विभागों के घाटे में वृद्धि के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र की बचतों में अत्यधिक गिरावट हुई। वास्तव में, वर्ष

1998-99 के समान वर्ष 1999-2000 में सरकारी क्षेत्र की बचतें ऋणात्मक बनी रहीं। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सरकारी क्षेत्र की बचतें वर्ष 1998-99 के (-)0.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999-2000 में (-)1.2 प्रतिशत हो गई (सारणी 1.5)।

1.18 स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू निवेश (स.घ.नि.) में सदृश प्रवृत्तियां देखने में आई हैं। सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में निवेश में हास के कारण यह वर्ष 1997-98 के 25 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1998-99 में 23.0 प्रतिशत हो गया। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा किए गए अधिक निवेश के परिणामस्वरूप स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में स.घ.नि. वर्ष 1999-2000 से बढ़कर 23.3 प्रतिशत (चालू मूल्यों पर) हो गया (सारणी 1.5)। जबकि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सरकारी निवेश वर्ष 1998-99 के 6.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 7.1 प्रतिशत हो गया, इसी अवधि में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में निजी निवेश भी 14.8 प्रतिशत से बढ़कर 15.6 प्रतिशत हो गया।

1.19 वर्ष 1999–2000 में वास्तविक सकल घरेलू पूँजी निर्माण (स.घ.पूँ.नि.) में काफी वृद्धि हुई। सरकारी क्षेत्र के सकल घरेलू पूँजी निर्माण की वृद्धि दर वर्ष 1998–99 के 5.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 19 प्रतिशत हो गई, और निजी क्षेत्र के सकल घरेलू पूँजी निर्माण की वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 15.2 प्रतिशत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप इसी अवधि में समग्र सकल घरेलू पूँजी निर्माण की वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गई (सारणी 1.6)। बाजार मूल्यों (वर्ष 1993–94 के मूल्यों पर) पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक सकल घरेलू पूँजी निर्माण वर्ष 1998–99 के 25.4 प्रतिशत से

सारणी 1.4

संघटक	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन									
	(वर्तमान मूल्यों पर)					(1993-94 मूल्यों पर)				
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 ^a	1999-2000 ^a	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 ^a	1999-2000 ^a
कुल अंतिम उपभोग व्यय	15.8	17.3	9.3	18.0	12.1	6.5	7.4	3.0	7.9	5.8
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	18.5	13.1	18.3	23.0	18.8	8.0	4.5	10.9	11.7	15.0
निजी अंतिम उपभोग व्यय	15.3	18.0	7.9	17.1	10.9	6.2	7.9	1.7	7.2	4.1
सकल घरेलू पूँजी निर्माण	21.1	4.9	13.7	6.4	12.5	10.9	-0.8	9.5	2.3	9.4
वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	28.7	10.8	14.0	18.2	18.3	—	—	—	—	—
घटाइए वस्तुओं और सेवाओं का आयात	38.4	11.1	14.5	21.9	13.9	—	—	—	—	—

बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 26 प्रतिशत हो गया, जो कि वर्ष 1999–2000 में सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में वास्तविक पूँजी निर्माण में वृद्धि के कारण हुआ। किन्तु निजी कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा वास्तविक पूँजी निर्माण में मामूली ह्रास हुआ, यद्यपि पारिवारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिया।

1.20 इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि नब्बे के दशक के अंतिम वर्षों में स.घ.उ. के अनुपात के रूप में चालू मूल्यों पर सकल घरेलू पूँजी निर्माण में कमी प्रतीत होती है, तथापि स्थिर मूल्यों में यह प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। तुलनात्मक मूल्यों में परिवर्तन के कारण स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू पूँजी निर्माण इस अवधि के दौरान 25–26 प्रतिशत की सीमा में रहा है।

1.21 सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में नियत पूँजी निर्माण में वृद्धि के परिणामस्वरूप स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक सकल नियत पूँजी निर्माण (जी.एफ.सी.एफ.) भी वर्ष 1998–99 के 23.5 प्रतिशत से कुछ बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 23.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1998–99 में कमी के पश्चात् वर्ष 1999–2000 में स.घ.उ. के अनुपात के रूप में वस्तु-सूचियां बढ़कर 1.6 प्रतिशत हो गई, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की वस्तु-सूचियों का स्तर भी लगभग समान है (सारणी 1.6)।

1.22 चूंकि वर्ष 2000–01 के लिए पूँजी निर्माण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए हमें निवेश एवं संवृद्धि के विभिन्न अग्रणी सूचकों को देखना होगा। ये काफी मिश्रित चित्र प्रस्तुत करते हैं। चालू वर्ष में पूँजी वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के साथ ही आयातों में काफी ह्रास हुआ है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (ए.आई.एफ.आई.) द्वारा अनुमोदनों एवं संवितरणों में काफी सुधार हुआ। चालू वर्ष में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) अंतर्प्रवाहों में भी महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। वर्तमान वर्ष में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्राष्ट्रीय अनियमित रहा है, तथा चालू वर्ष में पोर्टफोलियो निवेश समग्र अंतर्प्रवाह विगत वर्ष की तुलना में कम रहे हैं। प्रवृत्तियां वर्ष 2000–01 के दौरान निवेश में कोई महत्वपूर्ण समुद्धान न होने का संकेत देती हैं। उच्च आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए निवेश में काफी बढ़ोत्तरी की आवश्यकता होगी, जबकि निवेश विदेशी प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियो निवेश में तीव्र वृद्धि, स्फीतिकारी अपेक्षाओं तथा वास्तविक ब्याज दरों में संरचनात्मक कमी, राजकोषीय घाटे में कमी तथा घरेलू ऋण एवं पूँजी बाजारों के और उदारीकरण पर निर्भर करेगा।

1.23 यद्यपि भारत की निजी बचत दर उच्च निष्पादनकारी पूर्वी एशियाई की अर्थव्यवस्थाओं की निजी बचत दर से कमोबेश तुल्य हैं, तथापि इसकी ऋणात्मक सरकारी बचतें घरेलू संसाधन संग्रहण पर एक प्रमुख दबाव है। घरेलू बचतें बढ़ाने, भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना के विकास तथा निजी निवेश पर संकुल प्रभाव कम करने के लिए सरकार लोक व्यय का पुनर्संरचना कर रही है।

1.24 वर्ष 1999–2000 में आर्थिक सुधारों की गति को सफलतापूर्वक बढ़ाया गया। आयकर आधार को व्यापाक बनाने तथा उत्पाद एवं सीमाशुल्क ढांचे को सरल बनाने के लिए प्रमुख राजकोषीय सुधार किए गए। विदेशी निवेश तथा व्यापार नीति क्षेत्रों में भी समर्थकारी सुधार किए गए। लोक वित्त पर दबाव कम करने, सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण की कुशलता में वृद्धि करने तथा वर्धमान पूँजी उत्पादन अनुपात (आई.सी.ओ.आर.) में कमी करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सुधार किए जा रहे हैं। अवसंरचना में अधिक निजी निवेश प्रोत्साहित करने के लिए बीमा, बैंकिंग, पूँजी बाजार, विद्युत तथा संचार क्षेत्रों में विधिक, संस्थागत तथा विनियामक ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। पूँजी बाजार तथा वित्तीय क्षेत्र में और सुधार करने तथा बीमा एवं भविष्य निधियों में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देने के लिए वर्ष 2000–01 के केन्द्रीय बजट में विभिन्न उपायों की घोषणा की गयी है। वर्ष 1999–2000 के दौरान किए गए प्रमुख सुधारों को बाक्स 1.1 में दिया गया है। यह आशा है कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था के लिए बचत एवं निवेश दोनों दरों में वृद्धि होगी।

पूर्ति पक्ष: उत्पादन

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र

1.25 मौसम की प्रतिकूल दशाओं ने वर्ष 2000–01 में फसल संभावनाओं, विशेषकर खाद्यान्नों एवं तिलहनों के उत्पादन को प्रभावित किया। खाद्यान्न उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष के 208.9 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2000–01 में 199 मिलियन टन होने की संभावना है। तथापि, लगभग 10 मिलियन टन की गिरावट से गंभीर पूर्ति प्रबंध समस्या नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि देश में लगभग 45 मिलियन टन का बड़ा खाद्यान्न स्टॉक है, जो कि खाद्यान्न मूल्यों में सटेटेबाजीजनित उर्ध्वमुखी वृद्धि के प्रति एक यथेष्ट सुरक्षोपाय है।

1.26 जहां तक वाणिज्यिक फसलों का संबंध है, वर्ष 2000–01 में रबी तिलहन एवं दलहन उत्पादन की संभावनाएं भी संतोषजनक नहीं हैं, क्योंकि अपर्याप्त शीतकालीन वर्षा के कारण इस वर्ष इन

बाक्स 1.1

वर्ष 2000-01 में प्रमुख आर्थिक सुधार

उद्योग

- सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार तथा ज्ञानाधारित उद्योगों की अनेक मर्दों पर सीमा शुल्क कम करके ज्ञान आधारित उद्योग को अत्यधिक बढ़ावा देना।
- एक लघु नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी उद्योगों में स्वतः मार्ग के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 100% तक विदेशी इक्विटी धारिता की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे धारक कंपनियां हों। उनकी अनुमंगी कंपनियों जो प्रचालक कंपनियां हैं, को भी 75% तक विदेशी इक्विटी धारिता की अनुमति दी गई है।
- लघु उद्योग आरक्षण के दायरे से वस्त्र क्षेत्र का अनारक्षण।

अवसंरचना

- राज्य विद्युत बोर्डों की उनके द्वारा देय राशियों का शोधन करने में सहायता करने के लिए केन्द्रीय विद्युत एवं कोयला क्षेत्र की उपयोगिताओं के बकायों का प्रतिभूतिकरण।
- प्रचालकों की संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना घरेलू दीर्घ दूरी सेवा प्रारंभ की गई।
- 1 अक्टूबर, 2000 से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का सृजन करके दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) तथा दूरसंचार संचालन विभाग (डीटीओ) का निगमीकरण किया गया है।
- बैंकिंग तथा सेल्यूलर सेवा प्रचालकों, दोनों के लिए मौजूदा नियत लाइसेंस शुल्क के स्थान पर राजस्व भागीदारी प्रबंध व्यवस्था शुरू की गई।
- पैट्रोल तथा डीजल पर उपकर तथा एन एच ए आई के लिए अतिरिक्त निधि संग्रहण उपायों से प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएच डीपी) के त्वरित कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया गया।
- इंडियन एअरलाइंस तथा एअर-इंडिया में सरकारी इक्विटी का निर्निहीकरण प्रस्तावित।
- शहरी अवसंरचना के विकास के लिए ठोस अवशिष्ट पदार्थ प्रबंध व्यवस्था तथा जल उपचार का करावकाश लाभ प्रदान किया गया।

प्रत्यक्ष कर

- फार्म हाउसों की कृषि-भिन्न आय को कर योग्य बनाया गया।
- उद्यम पूँजी निधियों को पूर्णतः कर मुक्त दर्जा प्रदान किया गया, आय पर कर तभी लगाया जाएगा जब वह निवेशकों को प्राप्त होगा।
- केन्द्र सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए बांडों से ब्याज, को कर मुक्त बनाया गया ताकि अवसंरचना क्षेत्र के लिए निधियों उपलब्ध हो सकें।
- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित के अनुसार सभी कंपनियों द्वारा पूर्ववर्ती 10.5 प्रतिशत की प्रभावी दर के बजाए (बही लाभों का 7.5 प्रतिशत न्यूनतम वैकल्पिक दर (मैट) प्रभारित किया जाना है।
- मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों तथा 100 प्रतिशत नियांत्रित-मुखी उपक्रमों के संबंध में करावकाश लाभों को उदार बनाया गया।
- 'इन-हाउस' अनुसंधान तथा विकास सुविधा संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय के लिए भारित कटौती 125 प्रतिशत से बढ़ा कर 150 प्रतिशत कर दी गई।
- मनोरंजन उद्योग द्वारा नियांत आय की छूट का लाभ गैर-कार्पोरेट कंपनियों को प्रदान किया गया।
- संभावित करदाताओं को अभिज्ञान करने के लिए वर्ष 1998-99 के केन्द्रीय बजट में प्रारंभ की गई "छः-मैं-एक" कसोटी 2 लाख या अधिक की जनसंख्या वाले 79 अन्य शहरों (54 शहरों से) तक विस्तारित कर दी गई।

अप्रत्यक्ष कर

- शीर्ष संरक्षणात्मक सीमाशुल्क टैरिफ दर को मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से घटा कर 35 प्रतिशत किया गया।

- बुनियादी सीमाशुल्क की मौजूदा पांच प्रमुख मूल्यानुसार दरों को चार मूल्यानुसार कर दिया गया।
- कुछ अपवादों को छोड़कर सभी विनिर्मित वस्तुओं पर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार के एकल केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) की शुरुआत कर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रणाली में सुधार किया गया।

राजकोषीय प्रबंध व्यवस्था

- लोक सभा में दिसंबर, 2000 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित विधान में एक निश्चित समय सीमा के भीतर राजस्व घाटा समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने तथा स.ध.उ. के अनुपात के रूप में ऋण को स्थिर करने के लिए एक कानूनी तथा सांस्थानिक ढांचे की व्यवस्था की गई है।
- 1 अप्रैल, 2000 से सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर को 1 प्रतिशत कम करके 11 प्रतिशत कर दिया गया।
- आयोजना-भिन्न, विकासात्मक व्यय की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए गए।

वित्तीय क्षेत्र

- सेबी (प्रकटीकरण तथा निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देशों में संशोधनों द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों के लिए संशोधनों द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों के लिए प्रवेश मानदंडों को कठोर बनाया गया।
- 100 प्रतिशत एक-चरण वाली बही निर्माण प्रक्रिया के लिए आशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता घटाकर 33 प्रतिशत करने के लिए विधान की शुरुआत की गई।
- आई आर डी ए की स्थापना
- नाबर्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन के माध्यम से नाबर्ड के कार्यात्मक क्षेत्र का विस्तार तथा अधिक स्वायत्ता
- निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश के लिए संशोधित मानदंड
- बीमा कारोबार शुरू के लिए बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को अनुमति

व्यापार नीति

- नियांत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) की स्थापना
- नियांत संबद्ध अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों के नियांत निष्पादन के आधार पर उन्हें सहायता प्रदान करने की योजना का विकास करना।
- विशेष आयात लाइसेंस का अभ्यार्पण करके लाइसेंस प्राप्त किए बिना 10 वर्ष से कम पुरानी पूँजीगत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति।

पूँजी लेखा

- ई-कार्मस में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई।
- बाइस उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए लाभांश संतुलन की शर्त को समाप्त किया गया।
- विद्युत उत्पादन, परेषण तथा वितरण (परमाणु रिएक्टर संयंत्रों को छोड़कर) वाली परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए 1500 करोड़ रु. की मौजूदा उच्च सीमा समाप्त कर दी गई।
- करिपय गतिविधियों को छोड़कर स्वतः मार्ग के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई, जेड) में सभी विनिर्माण गतिविधियों के लिए 100 प्रतिशत तक अनुमत किया गया।
- स्वतः मार्ग के तहत बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी अनुमति दी गई।
- संसाधन जुटाने के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार का उपयोग एक साधन के रूप में सुकर बनाने के लिए अनेक नीतिगत उदारीकरण किए गए हैं।
- भारतीय कंपनियों द्वारा एडीआर/जीडीआर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पेशकशों से संबंधित नीतियों को और उदार बनाया गया है।

फसलों का उत्पादन क्षेत्र काफी कम है। रबी के मौसम में सरसों की फसल पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः बाद में गर्मी के दौरान खाद्य तेलों पर दबाव पड़ सकता है और उनपर सतकर्तापूर्ण निगाह रखे जाने की आवश्यकता होगी।

उद्योग

1.27 नब्बे के दशक का समग्र औद्योगिक संवृद्धि पथ चक्रीय उत्तर-चढ़ाव से पूर्ण रहा है; वर्ष 1995-96 में औद्योगिक वृद्धि 13 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर थी। वर्ष 1996-97 से औद्योगिक वृद्धि लगभग 6.5 प्रतिशत वार्षिक रही है, सिवाय वर्ष 1998-99 के, जिसमें यह गिरकर 4.1 प्रतिशत हो गयी थी। विगत कुछ वर्षों के दौरान औद्योगिक वृद्धि के इस चक्रीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी कर्तिपय कारक हैं: उच्च ब्याज दर माहौल, पूँजी वस्तुओं की मांग में कमी, व्यवसाय चक्र, औद्योगिक पुनर्संरचना तथा अवसंरचनात्मक दबावों, विशेषकर विद्युत, सड़कें, दूरसंचार एवं परिवहन में अंतर्निहित समायोजन कमियां।

1.28 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर 2000 में समग्र औद्योगिक वृद्धि 5.7 प्रतिशत (अप्रैल-दिसम्बर, 1999 के 6.4 प्रतिशत की तुलना में) थी, जिसमें खनन एवं खदान में 4.1 प्रतिशत, विनिर्माण में 5.9 प्रतिशत तथा बिजली में 4.8 प्रतिशत का योगदान है। अप्रैल-दिसम्बर 2000 में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत थी, जो कि अप्रैल-दिसम्बर 1999 में दर्ज की गई 7 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम है। अप्रैल-दिसम्बर, 2000 में विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत थी, जो कि अप्रैल-दिसम्बर 1999 में प्राप्त 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम है। केवल खनन क्षेत्र अपनी वृद्धि दर को अप्रैल-दिसम्बर 1999 के 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर अप्रैल-दिसम्बर 2000 में 4.1 प्रतिशत तक ले जाने में समर्थ हो सका।

1.29 उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते समय मिश्रित प्रवृत्तियां सामने आयीं। वर्तमान वर्ष में टिकाऊ एवं गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं दोनों की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हुई, जबकि बुनियादी वस्तुओं, पूँजी वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं की वृद्धि दर में कमी आई। पूँजी वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं की वृद्धि दर में अधोमुखी प्रवृत्ति पर्याप्त निवेश मांग के अभाव की और संकेत करती है। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर की मजबूती बनी हुई है तथा वृहत्तर औद्योगिक पुनर्संरचना तथा अधिक अनुकूल अंतरिक एवं विदेशी निवेश का माहौल उद्योग के अन्य क्षेत्रों में भी उच्च वृद्धि को प्रेरित कर सकता है।

1.30 जहां तक मुख्य विनिर्माण समूहों की वृद्धि दरों का संबंध है, घातु उत्पादों तथा पुर्जों (मशीनरी एवं उपकरणों को छोड़कर) के समूह में अप्रैल-दिसम्बर 2000 में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। दो अंकों की वृद्धि दर दर्ज करने वाला अन्य समूह रबड़, प्लास्टिक, पैट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद (10.4 प्रतिशत) तथा चमड़ा तथा फर उत्पाद (10.3 प्रतिशत) था। अन्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले समूह थे खाद्य उत्पाद (9.4 प्रतिशत), वस्त्र उत्पाद (8.4 प्रतिशत), परिवहण उपकरणों को छोड़कर मशीनरी तथा उपकरण (8.3 प्रतिशत) तथा अन्य विनिर्माण उद्योग (8.2 प्रतिशत)। मात्र दो समूहों यथा कागज एवं कागज उत्पाद, प्रकाशन एवं सम्बद्ध उद्योगों (-11.3 प्रतिशत) तथा धातु भिन्न खनिज उत्पादों (-0.3 प्रतिशत) में ऋणात्मक वृद्धि की गई।

1.31 औद्योगिक वृद्धि वर्ष 1998-99 में घटकर 4.1 प्रतिशत पर आने के पश्चात् वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गई। उच्च वृद्धि संवेग को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2000-01 के केंद्रीय बजट में कई नीतिगत उपायों की घोषणा की गई। इनमें निमांकित शामिल हैं:

- सेनेवैट लागू करके उत्पाद शुल्क को युक्तियुक्त बनाया जाना तथा उत्पाद शुल्क दरों की संख्या में कमी।
- शेयरधारकों के एक विशेष संकल्प द्वारा विदेशी संस्थागत निवेश (एफ.आई.आई.) सीमा को कुल इक्विटी के 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति।
- लघु पैमाने के उद्योगों के लिए वित्र प्राप्त करने हेतु, संपार्श्वक जमानत देने की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना।
- औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों एवं जिलों में स्थापित लघु पैमाने के उद्योगों तथा औद्योगिक इकाईयों के लिए विद्यमान कर अवकाश लाभों को अन्य दो वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2002 तक के लिए बढ़ाना।
- सिनेमैटिक कैमरा तथा अन्य सम्बद्ध उपकरणों पर आयात शुल्क में कमी के माध्यम से मनोरंजन उद्योग को रिआयत।

1.32 भारतीय उद्योग में निवेश को और सुविधाजनक बनाने की सरकार की बचनबद्धता के अनुसरण में कर्तिपय विनिर्दिष्ट मदों तथा परस्थितियों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए स्वतः अनुमति प्रदान की गई है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 100 प्रतिशत तक की विदेशी

इकिवटी धारिता की अनुमति प्रदान की गई है, बशर्ते कि वे धारक कंपनियां हों। उनकी अनुषंगी कंपनियों, जो कि प्रचालनाधीन कंपनियां हैं, को भी 75 प्रतिशत तक विदेशी इकिवटी धारिता का अनुमति प्रदान की गई है। ऐसी अनुषंगी कंपनियों की स्थापना एवं इनके प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने 50 मिलियन अमरीकी डालर की न्यूनतम पूँजी वाली धारक कंपनियों को 100 प्रतिशत अधोमुखी अनुषंगी कंपनियों की स्थापना करने की अनुमति भी दी है, जो कि 5 मिलियन अमरीकी डालर की न्यूनतम पूँजी से विनिर्दिष्ट बैंकिंग-भिन्न वित्तीय क्रियाकलाप कर सकती हैं। तथापि, ऐसी अनुषंगी कम्पनी को 3 वर्षों की अवधि के अंदर अपनी इकिवटी के न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्से का विनिवेश सार्वजनिक पेशकश के जरिए करना होगा।

1.33 औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, 1951 की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने एक नए उद्योग अधिनियम के अधिनियमन का प्रस्ताव किया है, जो कि उद्योगों के नियमन के बनिस्पत उनके संवर्धन तथा विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। सरकार इस संबंध में एक नया अधिनियम तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

सेवा क्षेत्र

1.34 नब्बे के दशक में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा उद्योग एवं अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित किए जाने के कारण सेवा क्षेत्रों में निरंतर उच्च वृद्धि को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। लोक प्रशासन, सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विस्तार सेवाओं तथा रक्षा व्यय में तीव्र वृद्धि का सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, पचास के दशक के आरम्भ के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का 28 प्रतिशत का हिस्सा वर्ष 1990-91 तक बढ़कर 41 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2000-01 में यह और बढ़कर लगभग 49 प्रतिशत हो गया। सरकार द्वारा भारी खाद्यान्न अधिप्राप्ति, निरंतर औद्योगिक वृद्धि तथा परिवहन सेवाओं, व्यापार सम्बद्ध गतिविधियों तथा वित्तीय सेवाओं के बेहतर निष्पादन के कारण वर्ष 2000-01 में सेवा क्षेत्र में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

अवसंरचना

1.35 वर्तमान वर्ष में अवसंरचना का निष्पादन मिश्रित है। विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर में काफी कमी आयी। अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में प्रमुख पत्तनों पर लादे-उतारे गए नौभार की वृद्धि दर अप्रैल-दिसम्बर, 1999 की 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर से घटकर अप्रैल-दिसम्बर, 2000 में 3.9 प्रतिशत हो गई, तथा रेलवे के माल ढुलाई से होने वाले राजस्व अर्जन की वृद्धि दर पिछले वर्ष के

8.0 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष 5.2 प्रतिशत पर आ गई। तथापि, नए टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 29.8 प्रतिशत से काफी बढ़कर इस वर्ष 33.4 प्रतिशत हो गई (सारणी 1.7)।

1.36 छ: आधारभूत तथा अवसंरचना उद्योगों (अर्थात् विद्युत, कच्चा तेल, शोधनशाला, कोयला, स्टील तथा सीमेंट), जिनका समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.पी.पी.) में 26.7 प्रतिशत हिस्सा है, की औसत वार्षिक वृद्धि दर अप्रैल-दिसम्बर, 1999 में प्राप्त 9.1 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2000 में 7.7 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत कम है। पेट्रो-परिष्करण उत्पादन की वृद्धि दर अप्रैल-दिसम्बर 1999 के 22.0 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-दिसम्बर 2000 में 25.9 प्रतिशत हो गई। चालू वर्ष में स्टील एवं कोयला का निष्पादन बेहतर रहा है, जबकि विद्युत एवं सीमेंट का निष्पादन निकट हा है।

1.37 चालू वर्ष के दौरान अवसंरचना वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों की घोषणा की गई है। इनमें शामिल हैं:

- आपरेटरों की संख्या पर बिना कोई प्रतिबंध लगाए लंबी दूरी की टेलीफोन सेवा का खोला जाना।
- बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल को अपने संबंधित सर्किलों (मण्डलों) में तीसरे सेल्युलर आपरेटर के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान किया जाना।
- बुनियादी तथा सेलुलर दोनों सेवा आपरेटरों के लिए विद्यमान नियत लाइसेंस शुल्क के स्थान पर राजस्व भागीदारी व्यवस्था को लागू किया जाना।
- सभी सर्किलों में चौथे सेलुलर आपरेटर के प्रचालन की अनुमति।
- एक अतिरिक्त बुनियादी सेवा आपरेटर की अनुमति।
- राज्य विद्युत बोर्डों को इनके बकाए के समाशोधन में सहायता प्रदान करने हेतु केंद्रीय क्षेत्र विद्युत एवं कोयला जनोपयोगी सेवाओं के बकाए को प्रतिभूति में रूपांतरित करने के लिए एक योजना तैयार करना। केंद्र सरकार की सहायता राज्य विद्युत बोर्डों के प्रचालन में सुधार से संबंधित हैं।
- घरेलू विमान सेवा, इण्डियन एआरलाइंस तथा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, एअर इण्डिया की सरकारी इकिवटी के निर्निहितीकरण का प्रस्ताव।

क्षेत्र	भारांश (आई आई पी)	सारणी 1.7					
		1996- 97	1997- 98	1998- 99	1999- 2000*	अप्रैल-दिसंबर* 1999	2000
अवसंरचना क्षेत्र (आई आई पी)							
1. बिजली उत्पादन	10.2	4.2	6.5	6.4	7.2	7.5	4.7
(क) पन बिजली		-5.1	8.3	11.0	-2.7	-2.1	-5.4
(ख) तापीय (नाभिकीय सहित)		6.4	6.1	5.4	9.4	9.9	6.9
2. कोयला उत्पादन	3.2	5.8	3.6	-1.2	2.6	0.6	5.9
3. इस्पात	5.1	1.6	0.6	-1.5	12.5	15.0	12.8
4. कच्चा तेल	4.2	-6.5	3.0	-3.5	-2.6	-0.4	1.0
5. शोधनशाला उत्पादन	2.0	7.2	3.7	5.1	25.5	22.0	25.9
6. सीमेंट	2.0	9.6	7.7	7.2	13.9	16.0	2.3
समग्र	26.7	2.8	4.3	2.4	8.0	9.1	7.7
अन्य अवसंरचना क्षेत्र							
1. रेलवे माल ढलाई राजस्व अर्जक		4.7	5.0	-2.0	8.4	8.0	5.2
2. मुख्य पत्तनों पर लादा-उतारा गया नौभार		5.6	10.7	0.0	8.0	9.2	3.9
3. दूसंचार:							
प्रदत्त नए टेलीफोन कनेक्शन (डी ई एल)		17.5	27.1	16.4	29.7	33.4	29.8
* अनन्तिम							

- हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, कोच्ची तथा अमृतसर हवाईअड्डों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन करने का निर्णय।
- सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार तथा अन्य ज्ञान आधारित उद्योगों को प्रोत्सहित करने के लिए सीमाशुल्क में कमी।
- अवसंरचना को उपलब्ध कर लाभ शहरी अवसंरचना, अर्थात् जल उपचार तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन को भी प्रदान करना।
- आवास परियोजनाओं के लिए कर अवकाश को 31.3.2003 तक पूरी होने वाली (वर्तमान सीमा 31.3.2001) परियोजनाओं को प्रदान करना।

सामाजिक क्षेत्र

1.38 सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न संघटकों पर केंद्र सरकार का आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय वर्ष 1992-93 के 9608 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2000-01 (ब.अ.) में 36270 करोड़ रुपए हो गया, जो कि मात्र आठ वर्षों की अवधि में लगभग चाँगुनी वृद्धि है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में केंद्र का संयुक्त आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय वर्ष 1992-93 के 8.1 प्रतिशत

से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 10.7 प्रतिशत हो गया। सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं पर चालू बाजार कीमतों पर स.घ.ड. के प्रतिशत के रूप में केंद्र का आयोजना व्यय पिछले दशक में 1.1-1.2 प्रतिशत के बीच रहा। तथापि, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2000-01 (ब.अ.) में समग्र शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय में 24.3 प्रतिशत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 26.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई; स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए 29.8 प्रतिशत; महिला एवं बाल विकास के लिए 16.8 प्रतिशत तथा परिवार कल्याण योजनाओं के लिए 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.39 जन स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याओं से जूझते राष्ट्रीय कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप मानव विकास के आधारभूत संकेतकों में सुस्थिर सुधार हुआ है। जबकि मोटे तौर पर मृत्यु दर वर्ष 1981 के 12.5 प्रति हजार से घटकर वर्ष 1991 में 9.8, तथा वर्ष 1999 में और घटकर 8.7 हो गई, शिश मृत्यु दर वर्ष 1981 के प्रति हजार 110 से घटकर वर्ष 1991 में 80 हो गई तथा वर्ष 1999 में और घटकर 70 हो गई। जहाँ तक जनता की शैक्षणिक प्रास्थिति का संबंध है, साक्षरता दर वर्ष 1981 के 43.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1991 में 52.2 प्रतिशत तथा वर्ष 1997 में 62 प्रतिशत हो गई जोकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत प्रयासों को तीव्र करने का परिणाम है।

1.40 सुधार-पूर्व अवधि अर्थात् वर्ष 1987-88 से वर्ष 1991-92 में 2.29 रुपए की तुलना में वर्ष 1992-93 से वर्ष 1998-99 की सात वर्षोंय सुधार-पश्च अवधि में कृषि-भिन्न क्षेत्र की औसत वार्षिक वास्तविक मज़दूरी 2.64 रुपए थी जिसके लिए अखिल-भारतीय अनुमान उपलब्ध हैं।

1.41 निर्धनता उन्मूलन राष्ट्र के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। मोटे तौर पर प्रत्येक 5 वर्षों में एक अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण किया जाता है, जो कि देश में गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए आधार भी बनाया जाता है। समनुरूप प्रविधि तथा आंकड़ा समूह पर आधारित तुलनीय अनुमान वर्ष 1993-94 तक के लिए उपलब्ध हैं। गरीबी की अनुपातिक मात्रा सत्तर के दशक के बाद के वर्षों तक काफी उच्च रही। उच्च अर्थिक संवृद्धि हासिल किए जाने के साथ ही अस्सी के दशक के प्रारम्भिक वर्षों से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात घट रहा है। वर्ष 1993-94 के अनुमानों में अखिल भारतीय निर्धनता अनुपात 36 प्रतिशत पर है (सारणी 1.8)।

1.42 जुलाई 1999 से जून 2000 की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के 55वें दौर के कुछ प्रमुख परिणाम अब उपलब्ध हो गए हैं, जिनमें गरीबी में काफी अधिक कमी परिलक्षित हुई है जो कि 30-दिवसीय प्रत्याहवान प्रविधि के आधार पर घटकर 26 प्रतिशत तथा 7-दिवसीय प्रत्याहवान प्रविधि

के आधार पर 23.3 प्रतिशत है। हो सकता है कि अनुमानों के ये दो सेट निर्धनता के पूर्ववर्ती अनुमानों से पूरी तरह तुलनीय न हों। तथापि, ये स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि नब्बे के दशक के दौरान समग्र निर्धनता अनुपात में काफी कमी आयी है।

1.43 जनसंख्या को नियंत्रित करना स्थायी विकास एवं इसके साम्यापूर्ण वितरण के संवर्धन के लिए एक अनिवार्य अपेक्षा है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एन.पी.पी.-2000) इस तथ्य को मान्य करती है कि जनसंख्या नियंत्रण पुनरुत्पादक स्वास्थ्य देखरेख को संभव बनाने के लिए उतना ही आवश्यक कार्य है जितना कि अन्य जीवन स्तर सुधारक सेवाएं यथा प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा, स्वच्छता, पेय जल, आवास, परिवहन संचार तथा महिला अधिकारिता एवं उनके नियोजन के क्षेत्र का वर्धन। एन.पी.पी.-2000 के अनुसरण में जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनसंख्या संबंधी राज्य स्तरीय आयोगों का गठन भी किया गया है।

1.44 संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों यथा मलेरिया, तपेदिक, कुष्ठ, नेत्रहीनता, एड्स, कैंसर आदि, को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए रोग निगरानी तथा प्रतिक्रिया तंत्रों का सृद्धीकरण भी किया गया है। एच.आई.वी./एड्स को अब एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दे के रूप में परिप्रेक्षित किया जा रहा है, न कि मात्र जन स्वास्थ्य के मामले के रूप में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम दूसरे चरण की शुरूआत, अगले पांच वर्षों में 1425 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नवम्बर 1999 में की गई थी। वर्ष 2001 के अंत तक पोलियो को शून्य स्तर पर लाने के प्रयास किए गए हैं। अनेक राज्यों द्वारा पोलियो वायरस का कोई भी मामला अथवा मात्र एक या दो मामले सूचित करते हुए पोलियो के मामले में तीव्रता से गिरावट हुई है, तथापि, यह वायरस अभी भी मुख्यतया उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सक्रिय है।

1.45 प्रति वर्ष 20 लाख आवासीय इकाइयां तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आवास तथा अधिवास नीति, 1998 का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि अनुसमर्थक सेवाओं सहित आवास को अवसंरचना के समतुल्य एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाए। इस नीति का केन्द्रीय तत्व आवास तथा अवसंरचनात्मक समस्याओं को हल करने के लिए निजी क्षेत्र की पर्याप्त-विस्तारित भूमिका है। सरकार आवास निर्माण के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने हेतु राजकोषीय रिआयतें देने तथा विधिक एवं विनियामक सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता को स्वीकार करती है।

सारणी 1.8
निर्धनता के अनुमान
(प्रतिशत)

वर्ष	अखिल भारतीय	ग्रामीण	शहरी
1973-74	54.9	56.4	49.0
1977-78	51.3	53.1	45.2
1983	44.5	45.7	40.8
1987-98	38.9	39.1	38.2
1993-94	36.0	37.3	32.4
1999-2000			
30 दिवसीय प्रत्याहवान	26.1	27.1	23.6
7 दिवसीय प्रत्याहवान	23.3	24.0	21.6

हो सकता है कि वर्ष 1999-2000 के अनुमान गरीबी के पूर्ववर्ती अनुमानों से पूरी तरह तुलनीय न हो, क्योंकि आंकड़ा संग्रहण प्रविधि में कुछ परिवर्तन किया गया है।

स्रोत : योजना आयोग

1.46 विभिन्न आवास वित्त योजनाओं के तहत देश में 32.15 लाख आवास इकाईयों के लिए वर्ष 1999–2000 में आवास क्षेत्र को कुल 21623.51 करोड़ रुपए की निधियां स्वीकृत की गई थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 27.34 प्रतिशत वृद्धि की द्योतक है। चालू वर्ष में (सितम्बर 2000 तक) 19.63 लाख आवास इकाईयों के लिए कुल 11791.27 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वितरण के संदर्भ में, वर्ष 1999–2000 में 28.55 लाख आवास इकाईयों के लिए कुल 19475.88 करोड़ रुपए की राशि का वितरण कियागया जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.81 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। चालू वर्ष में (सितम्बर 2000 तक) 6.93 लाख आवासीय इकाईयों के लिए कुल 8481.97 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

राजकोषीय घटनाक्रम

केन्द्रीय बजट 2000-01

1.47 वर्ष 2000-01 का बजट अनेक अपवादात्मक बहिर्जात घटनाओं जैसे कश्मीर में 50 दिवसीय युद्ध, आम चुनाव से पूर्व राजनैतिक अनिश्चितता के दीर्घ महीने, उड़ीसा में अति-चक्रवात, कुछ कुछ मंद मानसून तथा वैश्वक अर्थव्यवस्था सुधार में निरंतर दुर्बलता की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया था। इन घटनाक्रमों के कारण वर्ष 1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय रक्षा, चुनावों तथा अति-चक्रवात पर अप्रत्याशित व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अवशिष्ट प्रभाव, राज्यों को विशेष राजकोषीय सहायता की आवश्यकता के साथ विनिवेश तथा राजस्व से प्राप्तियों में कमी ने वर्ष 1999–2000 के दौरान राजकोषीय घाटे को और भी तीव्र कर दिया। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में वर्ष 1999–2000 के संशोधित अनुमानों में 5.6 प्रतिशत पर अनुमानित केन्द्र का सकल राजकोषीय घाटा (राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लघु बचतों के हिस्से को निकाल कर) अनंतिम तथा अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर अब 5.5 प्रतिशत है। वर्ष 2000–2001 के बजट में सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। प्राथमिक घाटा (व्याज अदायगियों को कम करके राजकोषीय घाटा) जो सरकार की वर्तमान राजकोषीय स्थिति को प्रतिविम्बित करता है, वर्ष 1999–2000 के 0.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2000–01 में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है (सारणी 1.9)।

1.48 भारत को अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि पथ पर अग्रसर करने के उद्देश्य से वर्ष (2000–01) केन्द्रीय बजट में एक सप्तांगी नीति निर्दिष्ट की गई जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल थे:-ग्रामीण

अर्थव्यवस्था की वृद्धि की आधारशिला को मजबूत करना, ज्ञानाधारित उद्योगों को पोषित करना, पारम्परिक उद्योगों को सृद्ध एवं आधुनिकीकृत करना, अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करना, समाज के सर्वाधिक गरीब तथा सर्वाधिक कमजोर वर्गों पर विशेष बल सहित मानव संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता देना, तीव्र निर्यात वृद्धि, अपेक्षाकृत उच्च विदेशी निवेश तथा विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंध व्यवस्था के जरिए विश्व अर्थव्यवस्था में देश की भूमिका को मजबूत बनाना तथा राजकोषीय अनुशासन का एक विश्वनीय ढांचा स्थापित करना।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन विधेयक

1.49 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन विधेयक, 2000 को दिसम्बर 2000 में लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में एक निश्चित समयसीमा के भीतर राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने, लोक ऋण की वृद्धि को नियंत्रित करने तथा स.घ.उ. के अनुपात के रूप में ऋण को स्थिर करने के लिए एक कानूनी तथा सांस्थानिक ढांचे की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित कानून में विवेकपूर्ण तथा उत्तरदायी राजकोषीय नीति के संचालन हेतु सांस्थानिक ढांचे को सुदृढ़ करने तथा अपेक्षाकृत अधिक वृहद् आर्थिक स्थायित्व के संवर्धन के लिए मार्ग प्रशास्त करने का दायित्व सरकार पर ही डाल दिया गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को घाटे, सुधार तथा ऋण के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।

1.50 विधेयक में दो घाटा संकेतकों अर्थात् राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे पर सकेन्द्रण किया जाता है तथा चुने गए राजकोषीय संकेतकों के लिए एक निश्चित समय में नियामक उच्चतम सीमाओं की व्यवस्था की गई है। विधेयक में कानून के प्रख्यापन की अनुवर्ती पांचवर्षीय अवधि में राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटे को क्रमिक रूप से कम करते हुए सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से अनधिक करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित विधेयक में प्राकृतिक आपदाओं तथा युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों में राजकोषीय प्रबंधन में नम्यता सुनिश्चित करने के प्रावधान निहित हैं। उधार संबद्ध सिद्धांतों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से कतिपय प्रकार के उधारों का निषेध करने का प्रस्ताव है तथा ऋण संबद्ध सिद्धांतों के तहत ऋण स्टॉक संबंधी सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, विधेयक में यह परिकल्पना की गई है कि दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर, कुल देनदारियां (चालू विनिमय दर पर विदेशी ऋण) अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

	सारणी 1.9						
	कर राजस्व एवं व्यय						
	1990-91 वास्तविक आंकड़े	1995-96 वास्तविक आंकड़े	1996-97 वास्तविक आंकड़े	1997-98 वास्तविक आंकड़े	1998-99 वास्तविक आंकड़े	1999-2000* (अनंतिम) आंकड़े	2000-01 बजट अनुमान
(सकल घेरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)							
1. राजकोषीय घाटा	6.6	4.2	4.1	4.8	5.1	5.5	5.1
2. राजस्व घाटा	3.3	2.5	2.4	3.1	3.9	3.5	3.6
3. प्राथमिक घाटा	2.8	0.0	-0.2	0.5	0.7	0.8	0.5
4. सकल कर राजस्व	10.1	9.4	9.4	9.1	8.2	8.8	9.2
(क) प्रत्यक्ष कर जिसमें से निम्न का अंश:	1.9	2.8	2.8	3.2	2.7	3.0	3.3
(i) आय कर	0.9	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	1.4
(ii) निगम कर	0.9	1.4	1.4	1.3	1.4	1.6	1.8
(ख) अप्रत्यक्ष कर जिसमें से निम्न का अंश:	7.9	6.5	6.5	5.9	5.5	5.8	5.8
(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	4.3	3.4	3.3	3.2	3.0	3.2	3.3
(ii) सीमा शुल्क	3.6	3.0	3.1	2.6	2.3	2.5	2.5
5. कुल व्यय	17.3	14.2	13.9	14.2	14.6	15.3	15.5
जिसमें से,							
(i) बाज अदायगियाँ	3.8	4.2	4.3	4.3	4.4	4.7	4.6
(ii) मुख्य आर्थिक सहायता	1.7	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0
(iii) रक्षा	2.7	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.7
(iv) अन्य योजना-भिन्न व्यय	4.1	2.7	2.5	2.5	2.9	3.1	3.2
(v) योजना के लिए बजट सहायता	5.0	3.9	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0

* महालेखानियन्त्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनंतिम तथा अलेखापरीक्षित।

टिप्पणी: 1. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी की गई चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रति अनुपातों की नई वृद्धिखला (आधार वर्ष 1993-94)।

2. वर्ष 2000-01 के लिए चालू बाजार कीमतों पर स.घ. उत्पाद के प्रति अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं।

3. इन आंकड़ों में निवल लघु बचत संग्रहणों के राज्य के भाग के अंतरण को शामिल नहीं किया गया है।

वर्ष 2000-2001 में राजकोषीय तथा बजटीय घटनाक्रम

1.51 चालू राजकोषीय वर्ष के नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर 2000) के राजकोषीय प्राचल सकल राजकोषीय घाटे में गिरावट दर्शाते हैं जो चालू वर्ष में बेहतर राजस्व प्राप्तियाँ तथा अपेक्षाकृत निम्न व्यय वृद्धि के कारण अप्रैल-दिसम्बर, 1999 के 67,082 करोड़ रुपए की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2000 में 64,628 करोड़ रुपए हो गया। राजस्व प्राप्तियाँ (केन्द्र को निवल) में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अन्य प्राप्तियाँ (मुख्यतया विनिवेश प्राप्तियाँ) 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय लक्ष्य की तुलना में मात्र 236 करोड़ रुपए थीं। 20,4821 करोड़ रुपए का कुल व्यय पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना केवल 7.7 प्रतिशत की वृद्धि है। 64628 करोड़ रुपए के उधार तथा अन्य देनदारियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 3.7 प्रतिशत की गिरावट निर्दिष्ट करती हैं।

1.52 चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर, 2000) में प्रमुख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से सकल संग्रहणों के लिए

उपलब्ध आंकड़े प्रत्यक्ष कर संग्रहणों में अत्यधिक सुधार दर्शाते हैं। वैयक्तिक आय कर तथा निगम कर से संग्रहणों में अप्रैल-दिसम्बर 1999 में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2000 में 30.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क से संग्रहणों में अप्रैल-दिसम्बर 1999 में 19 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

व्यय प्रबंधन

1.53 विगत वर्षों में केन्द्रीय सरकार के व्यय के संघटन में व्यय की पूर्व-प्रतिबद्ध मदों की वर्धमान संख्या के कारण अनन्यता आ गई है। अंतर्निर्मित व्यय वृद्धि को नियंत्रित करने तथा व्यय संघटन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय बजट (2000-01) में अनेक पहलों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निमांकित शामिल हैं: सभी वर्तमान योजनाओं को कठोर शून्य-आधारित बजट निर्माण संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा; पद सृजन के मानकों की समीक्षा के द्वारा सरकारी विभागों की जनशक्ति आवश्यकताओं का पुनर्झाकलन

किया जाएगा तथा सरकारी विभागों एवं संस्थाओं में नई नियुक्तियां न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताओं तक सीमित रखी जाएगी; अधिशेष कर्मचारियों की पुनर्नियोजन योजना को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा तथा अधिशेष पूल के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) भी प्रारम्भ की जाएगी; जहाँ कहीं भी व्यवहार्य होगा लागत आधारित प्रयोक्ता प्रभार लगाने के उद्देश्य से सभी आर्थिक सहायताओं की समीक्षा की जाएगी; स्वायत्त संस्थाओं को दी जाने वाली बजटीय सहायता की समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें अधिकतम आंतरिक संसाधन सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा; सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर को समग्र ब्याज दर संरचना के समनुरूप बनाने के लिए 1 अप्रैल 2000 से 1 प्रतिशत घटा कर 11 प्रतिशत कर दिया गया है; तथा बजट में विनिवेश प्राप्तियों में से 1000 करोड़ रुपए की राशि को सरकारी ऋण शोधन के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

1.54 वर्ष के दौरान सरकार ने आयोजना-भिन्न, विकासात्मक-भिन्न व्यय में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें ये शामिल हैं: सभी मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त संस्थाओं के आयोजना-भिन्न वेतन-भिन्न व्यय के लिए बजटीय आवंटन में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती; एक वर्ष के लिए सभी नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध; स्टॉफ कारों के लिए पैट्रोल, तेल और स्नेहक पर व्यय के लिए नियंत्रित की खपत तथा आवंटन में 10 प्रतिशत की कटौती; नए पदों के सृजन पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध; तथा अध्ययन दौरों, सेमिनार आदि के लिए विदेश यात्रा पर प्रतिबंध।

कर सुधार

1.55 बजट में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में कर दरों में स्थिरता बनाए रखने तथा कराधार को व्यापक बनाने पर बल दिया गया। ज्ञानाधारित उद्योगों की वृद्धि को प्रेरित करने के लिए उद्यम पूँजी निधियों (वी सीएफ) के लिए एक नई प्रबंध व्यवस्था की गई जो उन्हें पूर्णतः कर मुक्त दर्जे की अनुमति देती है। कम्पनी पुनर्संरचना को कर-तरस्थता प्रदान करने के लिए एकीकरण, विघटन तथा अवपात बिक्री से संबंधित प्रावधानों को और युक्तियुक्त बनाया गया है। सभी कम्पनियों द्वारा “बही लाभों” के 7.5 प्रतिशत पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) प्रभारित किया जाना है जैसाकि कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है।

1.56 विदेशी मुद्रा में अर्जित आय से संबंधित सभी कर रिआयतें पंचवर्षीय अवधि में चरणबद्ध रूप से समाप्त की जा रही हैं। कराधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से संभावी करदाताओं को

अभिज्ञात करने के लिए आरम्भ की गई “छ: -मैं-एक” कसौटी को वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 2 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले 79 और शहरों में (54 शहरों से) विस्तारित कर दिया गया।

1.57 अप्रत्यक्ष कर मोर्चे पर, लेनदेन तथा अनुपालन लागतों को कम करने के लिए शुल्कदरों में कमी, उनके यौक्तिकीकरण तथा सरलीकरण की प्रक्रिया को अप्रेनीत किया गया। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी विनिर्मित वस्तुओं पर 16 प्रतिशत मूल्यानुसार के एक समान केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सैनवैट) की शुरूआत करके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने बिक्री करों को 1 अप्रैल, 2002 तक मूल्य वर्धित कर में रूपांतरित करने के लिए अपने सम्मत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। केन्द्रीय मूल्य वर्धित करके अलावा क्रमशः 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की तीन विशेष उत्पाद शुल्क दरें निर्धारित की गई हैं। ये वातित जल, तम्बाकू उत्पादों, मोटर वाहनों, प्रसाधन सामग्री इत्यादि जैसी कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रयोग्य हैं। सैनवैट क्रेडिट प्राप्त करने के लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं को संक्षिप्त, सरल तथा सुस्पष्ट बनाया गया है। सभी निविष्टियां (उच्च गति डीजल तथा मोटर स्पिरिट को छोड़कर) तथा सभी पूँजीगत वस्तुएं निविष्टि कर क्रेडिट के लिए पात्र हैं। सभी तैयार वस्तुओं (दियासलाई को छोड़कर) को भी सैनवैट क्रेडिट योजना के अंतर्गत लाया गया है। उत्पादशुल्क भुगतान के लिए आधार ‘मान्य थोक कीमत’ के स्थान पर ‘लेनदेन मूल्य’ में परिवर्तित कर दिया गया।

1.58 सीमाशुल्क के क्षेत्र में टैरिफ के उच्च स्तरों को क्रमिक रूप से कम करने का उद्देश्य रहा है ताकि घरेलू उद्योग को आयातों से प्रतिस्पर्धा के प्रति समायोजन के लिए उपयुक्त समय अनुमेय करते हुए उत्पादन की लागत को कम किया जा सके तथा प्रयोक्ता उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सके।

1.59 शीर्ष संरक्षणात्मक सीमाशुल्क टैरिफ दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार करके तथा बुनियादी सीमा शुल्क की मौजूदा पाँच प्रमुख मूल्यानुसार दरों को घटा कर 4 मूल्यानुसार दरें अर्थात् 5 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत करके टैरिफ के एशियाई स्तरों की और अग्रसरता को पुनः सुनिश्चित किया गया। 1 अप्रैल 2000 से कई उपभोक्ता वस्तुओं तथा अनेक कृषीय उत्पादों को आयातों की कर मुक्त माल सूची में शामिल कर लिया गया। ये वस्तुएं 35 प्रतिशत की शीर्ष

सीमाशुल्क टैरिफ दर जमा अधिभार के अध्यधीन हैं। बजट में अपरिष्कृत पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों पर बुनियादी सीमाशुल्क को कम कर दिया गया था तथा अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान इसे और कम करके क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत कर दिया गया।

मुद्रास्फीति

1.60 वर्ष 1999-2000 में खाद्यान्नों के भारी उत्पादन तथा सरकार द्वारा अनिवार्य वस्तुओं के लिए दक्ष आपूर्ति-मांग प्रबंधव्यवस्था के कारण मुद्रास्फीति दर में क्रमिक गिरावट परिलक्षित हुई। राजकोषीय घाटे में वृद्धि तथा ऊर्जा की कीमतों में तीव्र वृद्धि के बावजूद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक दर वर्ष 1998-1999 के 13.1 प्रतिशत से तेज़ी से घटकर वर्ष 1999-2000 में 3.4 प्रतिशत पर आ गई। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक दर में भी गिरावट हुई जो वर्ष 1998-99 के 5.9 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1999-2000 में 3.3 प्रतिशत पर आ गई।

1.61 वर्ष 2000-01 की शुरुआत 6.75 प्रतिशत की मुद्रास्फीति पर से हुई, इस मुद्रास्फीति दर का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा मार्च 2000 में लिक्विड पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) तथा कैरोसिन जैसे ईंधन उत्पादों की प्रशासित कीमतों में वृद्धि पर आरोप्य है। यदि इन प्रशासित मदों की कीमतों में वृद्धि न होती तो चालू राजकोषीय वर्ष के आरम्भ में मुद्रास्फीति लगभग 4 प्रतिशत होती। वर्ष के पूर्वार्ध (अप्रैल-सितम्बर) में मुद्रास्फीति दर 6 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर बनी रही, जब सितम्बर के अंत में पैट्रोलियम उत्पादों-एलपीजी, कैरोसिन, डीजल तथा पैट्रोल-की कीमतों में और वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति दर 7 प्रतिशत के स्तर को पार कर गई।

1.62 27 जनवरी 2000 को समाप्त सप्ताह के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (अनंतिम) बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर 8.2 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पूर्व की सादृश तिथि को यह 3.6 प्रतिशत थी। इसी तिथि को 52 सप्ताह की औसत मुद्रास्फीति दर वर्ष 1999-2000 की सादृश तिथि को 3.4 प्रतिशत की तुलना में 6.6 प्रतिशत थी।

1.63 चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 44 सप्ताह के दौरान सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्राथमिक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में इस अवधि के दौरान केवल 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वर्ष

के प्रथम 44 सप्ताहों के दौरान विनिर्मित उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक में भी 3.6 प्रतिशत की साधारण वृद्धि दर्ज की गई। ऊर्जा उत्पादों की प्रशासित कीमतों में वृद्धि के बावजूद प्राथमिक तथा विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में स्थिरता का मुद्रास्फीति दर पर संयतकारी प्रभाव हुआ।

1.64 औद्योगिक कामगारों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आई डब्ल्यू) द्वारा सामान्यतः मपित खुदरा मूल्यों में उत्तर-चढ़ाव वर्ष के दौरान संतुलित बना रहा। अप्रैल 2000 में सीपीआई (आई डब्ल्यू) आधारित मुद्रास्फीति दर 5.5 प्रतिशत थी जो उसके पश्चात् निरंतर घटती हुई दिसम्बर 2000 में 3.5 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गई। इससे परिलक्षित होता है कि दैनिक उपयोग की अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें वर्ष के दौरान स्थिर रहीं।

मुद्रा आपूर्ति

1.65 12 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार स्थूल मुद्रा आपूर्ति (एम 3) की वार्षिक वृद्धि 14 जनवरी, 2000 के 16.7 प्रतिशत की तुलना में 15.8 प्रतिशत थी, इससे, नवम्बर 2000 में भारत सहस्राब्दि जमा के माध्यम से मौद्रिक आधार में विस्तार प्रतिबिम्बित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिस्म्पत्तियों में वृद्धि के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में 12 जनवरी तक आरक्षित धनराशि में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की सादृश अवधि में यह वृद्धि नगण्य थी। 12 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमाराशियों में वार्षिक वृद्धि 17.9 प्रतिशत थी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक है, किन्तु इसमें बैंकों की मियादी जमाराशियों में भारत सहस्राब्दि जमा (आई एम डी) से 25,662 करोड़ रुपए की राशि को शामिल करके दर्शाया गया है जिनमें पिछले वर्ष की सदृश अवधि में 13 प्रतिशत की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 12 जनवरी तक 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 12 जनवरी, 2001 तक जनता के पास धन 10.0 प्रतिशत की अपेक्षाकृत निम्न गति से विस्तारित हुआ जोकि वर्ष 1999-2000 की सादृश अवधि में 14.9 प्रतिशत की तुलना में है।

वित्तीय घटनाक्रम

1.66 चालू वित्तीय वर्ष में किए गए महत्वपूर्ण मौद्रिक उपाय निम्नांकित से संबंधित हैं, पूर्णतः विकसित नकदीकरण समायोजन सुविधा की ओर संक्रमण, पूँजी बाजार में वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिपादन के अनुमेय स्तर में वृद्धि, लघु उद्योग क्षेत्र पर विशेष

संकेन्द्रण सहित क्रेडिट परिदाय प्रणाली में सुधार तथा वाणिज्यिक बैंकों की गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों में निरुद्ध निधियों की अपेक्षाकृत त्वरित वूसली की आरे लक्षित नवीनीकृत प्रयास। परिसम्पत्ति गुणवत्ता पर बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का प्रभाव अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल वर्धनात्मक ऋण परिसम्पत्तियों के प्रति वर्धनात्मक गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के अनुपात में उल्लेखनीय कमी से स्पष्ट होता है जो वर्ष 1998-99 के 16.9 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1999-2000 में 2.8 प्रतिशत हो गई। 5 करोड़ रुपए तक बकाया अधिशेषों वाली गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के संबंध में गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्ति वसूली संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंक दिसम्बर 2000 के अंत तक लगभग 546 करोड़ रुपए की वसूली कर पाए।

1.67 वित्तीय रूप से सुदृढ़ बैंकों को निवेश एवं वृद्धि हेतु संसाधन जुटाने में अपेक्षाकृत वृहत् भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से बीमा कारोबार में प्रवेश करने की अनुमति भी दे दी गई है। इसी प्रकार सुप्रबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को भी भा. रि. बैंक की पूर्वानुमति से बीमा कारोबार में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। किए गए अन्य उपायों में ये शामिल हैं – निजी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश के लिए संशोधित मानदंड, जमाराशियों प्रमाणापत्रों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि को 3 महीने से घटाकर 15 दिन करना, कम्पनियों, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र की कम्पनियों को संसाधन संग्रहण में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता प्रदान करते हुए वाणिज्यिक दस्तावेजों संबंधी अंतिम दिशानिर्देशों का निर्गम, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकार की गई मियादी जमाओं के लिए अनिवार्य दर निर्धारण तथा मूल बैंक के तुलन पत्र में सहायक बैंकों के तुलनपत्र शामिल कर के बैंकों तथा उनके सहायक बैंकों के समेकित पर्यवेक्षण की ओर अग्रसरता।

1.68 12 जनवरी, 2001 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से खाद्य-भिन्न क्रेडिट में पिछले वर्ष की 10.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। खाद्य-भिन्न क्रेडिट के अपेक्षाकृत उच्च प्रवाह के बावजूद औद्योगिक उत्पादन में अवत्वरण वर्धमान चिंता का विषय बना हुआ है। तथापि, क्रेडिट प्रवाह में त्वरण तेल क्षेत्र में क्रेडिट की वृद्धि के कारण नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में 12 जनवरी, 2001 तक पैट्रोलियम क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह में 79 करोड़ रुपए की गिरावट हुई जबकि पिछले वर्ष की सादृश अवधि में 210 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी।

1.69 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) द्वारा दी गई स्वीकृतियों तथा किए गए संवितरणों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। अप्रैल-दिसम्बर 1999 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2000 में अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा दी गई स्वीकृतियों में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की 19.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में चालू वर्ष की समान अवधि में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए संवितरणों में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.70 भारत में वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण तथा प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए गए हैं। प्रमुख नीतिगत उपायों में ये शामिल हैं, राष्ट्रीकृत बैंकों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता का घटा कर 33 प्रतिशत करने की विधायी पहल, निजी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश के लिए संशोधित मानदंडों की घोषणा, मूल बैंक के तुलनपत्र में सहायक बैंकों के तुलनपत्र शामिल करके समेकित पर्यवेक्षण की ओर अग्रसरता, क्रेडिट तथा प्रस्तावित क्रेडिट सूचना ब्लॉग द्वारा अपेक्षित अन्य संबद्ध सूचना के संग्रहण तथा मिलान के लिए बैंकों द्वारा इन-हाउस व्यवस्था, मुकदमा दायर किए गए तथा डिक्री-प्राप्त लेखों का निरंतर आधार पर सन्निकट अनुवीक्षण तथा गैर-निष्पादनकारी (एनपीए) परिसम्पत्तियों के सुधार के लिए सरलीकृत, विवेकाधीन रहित तथा अविभेदकारी तंत्र। इन उपायों के अतिरिक्त, कुछ उल्लेखनीय पहलें बीमा कारोबार में प्रवेश तथा पूंजी बाजार में प्रतिपादन के अनुमेय स्तर में वृद्धि से संबंधित। वित्तीय मध्यस्थता में अपेक्षाकृत सशक्त बैंकों के लिए अवसर बढ़ाने की ओर लक्षित हैं।

1.71 वर्ष 1999-2000 में गैर-निष्पादनकारी ऋणों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए समग्र रूप से सकल गैर-निष्पादनकारी ऋण मार्चांत 1999 में सकल अग्रिमों के 14.7 प्रतिशत से कम होकर मार्चांत 2000 में 12.8 प्रतिशत हो गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में समनुरूपी गिरावट 15.9 प्रतिशत से कम होकर 14.0 प्रतिशत थी जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह 10.8 प्रतिशत से कम होकर 8.5 प्रतिशत थी। विदेशी बैंकों के मामले में, समनुरूपी गिरावट 1 प्रतिशतांक बिंदु से कम अर्थात् 7.6 प्रतिशत से कम होकर 7.0 प्रतिशत थी। निवल अग्रिमों के प्रति निवल गैर-निष्पादनकारी ऋणों की प्रतिशतता में गिरावट कम महत्वपूर्ण थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए समग्र रूप से निवल गैर-निष्पादनकारी ऋण 31 मार्च 1999 को निवल अग्रिम के 7.6 प्रतिशत से कम होकर 31 मार्च 2000 को 6.8 प्रतिशत हो गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में सादृश गिरावट

31 मार्च 1999 के 8.1 प्रतिशत से कम होकर 31 मार्च 2000 को 7.4 प्रतिशत हो गई जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में यह 7.4 प्रतिशत से कम होकर 5.6 प्रतिशत पर आ गई। विदेशी बैंकों के निवल और गैर-निष्पादनकारी ऋण इसी अवधि के दौरान 2.9 प्रतिशत से कम होकर 2.4 प्रतिशत पर आ गए।

1.72 कुल परिसम्पत्तियों के संदर्भ में गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (एनपीए) के आयाम पर नजर डालना भी अर्थपूर्ण है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए समग्र रूप से गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां सकल तथा निवल संदर्भ में कुल परिसम्पत्तियों की क्रमशः 5.5 प्रतिशत तथा 2.7 प्रतिशत थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में सादृश आंकड़े 6.0 प्रतिशत तथा 2.9 प्रतिशत थे जो निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 3.6 प्रतिशत तथा 2.3 प्रतिशत के आंकड़ों की तुलना में हैं। यह उल्लेखनीय है कि पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में सकल तथा निवल रूप में क्रमशः 5.1 प्रतिशत तथा 3.2 प्रतिशत पर ये आंकड़े निजी क्षेत्र के नए बैंकों के मामले में 1.6 प्रतिशत तथा 1.1 प्रतिशत के अपेक्षाकृत काफी निम्न आंकड़ों की तुलना में उच्च थे। विदेशी बैंकों के मामले में निवल गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के लिए केवल 1.0 प्रतिशत की तुलना में सकल निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के लिए 3.2 प्रतिशत पर ये आंकड़े काफी उच्च थे।

पूँजी तथा मुद्रा बाजार

1.73 चालू वित्तीय वर्ष में पूँजी बाजार मंद गतिविधियां दृष्टिगोचर हुई। अप्रैल-दिसम्बर 2000 के दौरान पब्लिक तथा राईट्रस निर्गमों के जरिए संसाधन संग्रहण पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि में जुटाई गई राशि से लगभग 26 प्रतिशत कम थे। यद्यपि ऋण के माध्यम से जुटाई गई राशि में लगभग 32 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक गिरावट दर्ज की गई, तथापि इसी अवधि के दौरान इक्विटी निर्गमों के जरिए जुटाई राशि में भी लगभग 22 प्रतिशत की गिरावट हुई। इससे द्वितीयक बाजार में अपेक्षित या कमजोर निवेश भावनाएं प्रदर्शित हुई हैं, ऐसी ही स्थिति निवल विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.) निवेशों के मामले में भी है। अप्रैल-दिसम्बर 2000 में निवल एफ.आई.आई. निवेश (सेबी द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार) वर्ष 1999 की इसी अवधि के निवेशों का मुश्किल से एक तिहाई हिस्सा थे।

1.74 वर्ष 1999-2000 के दौरान शेयर बाजार में पाई गयी उछाल की स्थिति के विपरीत चालू वित्तीय वर्ष में शेयर के मूल्यों

में काफी गिरावट आई है। बंबई शेयर बाजार (बी.एस.ई.) का संवेदी सूचकांक मार्च 2000 के अंत के 5001 से 13.5 प्रतिशत कम होकर जनवरी 2001 के अंत में 4327 पर आ गया था। राष्ट्रीय शेयर बाजार (एन.एस.सी) के सूचकांक (एस एण्ड पी-सी एन एक्स निफ्टी) ने भी शेयर के मूल्यों में यही रुख प्रदर्शित किया। इसी अवधि के दौरान यह 10.2 प्रतिशत से गिरकर 1528 से 1372 पर आ गया था। शेयर मूल्यों की इस कमी ने विदेश में शेयर मूल्यों के उतार-चढ़ाव विशेषकर तकनीकी सक्षम “नास्टाक” के प्रभाव को प्रदर्शित किया है। फिर भी बी.एस.ई. और एन.एस.ई. में आई गिरावट “नास्टाक” की तुलना में काफी कम है। जहां यह सूचकांक 39.4 प्रतिशत गिरकर मार्च 2000 के अन्त में 4573 से जनवरी 2001 के अन्त में 2773 पर आ गया था।

1.75 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने ऐसे बाजार की दिशा में बढ़ने के उद्देश्य से पूँजी बाजार सुधारों की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया है जो आधार सुविधा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के संदर्भ में आधुनिक, निवेशकों के अनुकूल, सुरक्षित और सार्वदेशिक रूप से प्रतियोगी है। वर्ष के दौरान पूँजी बाजार में किए गये प्रमुख सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सेबी (प्रकटीकरण एवं निवेशक संरक्षण) मार्गनिर्देशों के संशोधनों के माध्यम से आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई.पी.ओ.) के लिए प्रवेश मानदंडों को कठोर करना।
- इक्विटी-पश्च निर्गम की सार्वजनिक पेशकश का न्यूनतम स्तर 25 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने के द्वारा सभी क्षेत्रों में, कंपनियों के लिए आई.पी.ओ. मानदंडों को शिथिल करना;
- जिन कंपनियों का उचित ट्रैक रिकार्ड नहीं है उनके द्वारा आई.पी.ओ. के संबंध में अनिवार्य बही निर्माण, साथ ही यह भी शर्त रखी जाए कि 60 प्रतिशत की पेशकश का आवंटन अर्हता प्राप्त सांस्थानिक खरीददारों को किया जाएगा।
- शेयर बाजारों वाले सभी शहरों के बोली केन्द्रों में 100 प्रतिशत एक स्तरीय बही निर्माण की अनुमति और इक्विटी शेयरों या असूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी से संबंधित लिखतों में अपने निवल परिसंपत्ति मूल्य के 10 प्रतिशत तक का निवेश करने के लिए असीमित अवधि वाली स्कीमों की स्वीकृति देकर म्युचुअल फंडों के निवेश मानदंडों का उदारीकरण।

- पिछले वर्ष की वर्धमान जमाओं की 5 प्रतिशत की पूर्व सीमा के स्थान पर बकाया ऋण का 5 प्रतिशत करके पूँजी बाजार में निवेश हेतु वाणिज्यिक बैंकों की निधियों के स्वीकृति स्तर में छूट, और
- विनियामक अभिकरणों यथा भा.रि. बैंक, सेबी तथा कंपनी कार्य विभाग के प्रयासों को समन्वित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग में निवेशक शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना।
- स्टॉक सूचकांक पर्याचर्स पर आधारित व्युत्पाद तिजारत शुरू करना।

1.76 मुद्रा बाजार की कार्यकुशलता को और आगे बढ़ाने के लिए विनिर्मित इस वर्ष जून में किया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय क्रमशः परिवर्तनीय दर प्रतिलोम रिपो-नीलामी और परिवर्तनीय दर रिपो-निलामियों के माध्यम से अन्तर्विष्ठ एवं आमेलन के साथ पूर्ण विकसित नकदी समायोजन सुविधा (एल.ए.एफ.) में परिवर्तन से संबंधित था। सरकारी और मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों में लेन-देन को विनियमित करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 के संशोधन के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक को विनियामक शक्तियां दी गयी हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजार को और सघन और व्यापक बनाने के उपायों में ऐसी संस्थाओं को अनुमति देना जिन्हें प्राथमिक नीलामी में प्रतिभूतियां आवंटित की गयी हैं, उनको आवंटन की तारीख में ही बेचने की अनुमति देना और ऐसे सभी व्यक्तियों/संस्थाओं को अनुमति देना जिनके पास ट्रेजरी बिलों और केन्द्रीय/राज्य सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में रिपो-संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मुम्बई कार्यालय में चालू खाता और सहायक सामान्य खाता बही है, शामिल हैं।

विदेशी क्षेत्रक

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश

1.77 एशिया और रूस में संकटों के बाद जो वैश्विक, आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति दबाव में थी उसमें 1999 में तेजी से सुधार हुआ और वर्ष 2000 में यह सशक्त हुई। वैश्विक उत्पादन वर्ष 1998 के 2.6 प्रतिशत और वर्ष 1999 के 3.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2000 में 4.7 प्रतिशत बढ़ने की आशा है। वस्तुओं एवं सेवाओं में विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि वर्ष 1998 के 4.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999 में 5.1 प्रतिशत हो गयी थी और वर्ष 2000 में इसे लगभग दुगनी होकर 10 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान लगाया गया है। अमरीकी डालर मूल्य में इसका विनिर्माण के विश्व व्यापार मूल्य जो वर्ष 1996 से 5 वर्षों तक लगातार गिरावट प्रदर्शित कर रहे थे उनके वर्ष 2001 में केवल 1.1 प्रतिशत बढ़ने की आशा है। गैर-ईंधन प्राथमिक वस्तुओं के विश्व व्यापार मूल्य

जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में गिरावट का रुख प्रदर्शित किया था, वर्ष 2000 में 3.2 प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है और वर्ष 2001 में इनमें और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वर्ष 1999 में 37.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वर्ष 2000 में यह और बढ़कर 47.5 प्रतिशत के स्तर पर थी। वर्ष 2001 में इनके कमी आने (लगभग 13 प्रतिशत) की आशा है। इन सभी प्रवृत्तियों से भारत सहित विकासशील देशों की आर्थिक स्थितियों एवं भुगतान संतुलनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

भुगतान संतुलन

चालू खाता घाटा

1.78 भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति वर्ष 1999-2000 में अच्छी रही। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के प्रतिकूल परिवेश और भारत के तेल आयात बिल में लगभग दो-तिहाई वृद्धि, कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को प्रदर्शित करती है, के बावजूद चालू खाते में घाटे की मामूली वृद्धि हुई जो तब 1998-99 में 4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 1999-2000 में 4.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था। निर्यातों की सुदृढ़ स्थिति बहाल करने और अदृश्यों के निवल अन्तर्वाह में तेजी के द्वारा ऐसा करना संभव हो सका जो साफ्टवेयर निर्यात और निजी अंतरणों में तीव्र वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वर्ष 1999-2000 में व्यापार खाते के घाटे के 76 प्रतिशत की पूर्ति 12.9 बिलियन अमरीकी डालर की अदृश्य निवल प्राप्तियों से की गयी और चालू खाते में 4.2 बिलियन अमरीकी डालर का वित्तीय अन्तराल रह गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाटे में मामूली कमी दर्ज हुई जो वर्ष 1998-99 में 1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1999-2000 में 0.9 प्रतिशत है।

1.79 तेल के मूल्यों में निरंतर बढ़ोत्तरी और भारत के तेल आयात बिल में और आगे वृद्धि से चालू खाता घाटा वर्ष 2000-01 में संधूँड के 1.5-1.7 तक पहुँचने की आशा है। भा.रि. बैंक द्वारा किए गये भुगतान संतुलन के अद्यतन त्रैमासिक अनुमानों के अनुसार चालू खाता घाटा अप्रैल-सितम्बर 2000 में लगभग 4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है जो अप्रैल-सितम्बर 1999 में 2.9 बिलियन अमरीकी डालर था। जहाँ निवल अदृश्य अप्रैल-सितम्बर 1999 में 4.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 0.5 बिलियन अमरीकी डालर-बढ़कर अप्रैल-सितम्बर 2000 में 5.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गये थे वहाँ भुगतान संतुलन आधार पर व्यापार घाटा इसी अवधि के दौरान 7.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 9.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था जो 1.7 विलियन अमरीकी डालर की वृद्धि है (सारणी 1.10)।

सारणी 1.10 भुगतान संतुलन : सारांश® (त्रैमासिक) (मिलियन अमरीकी डालर)						
	1999-2000				2000-2001	
	अप्रैल-जून 1999	जुलाई-सित. 1999	अक्टू.-दिस. 1999	जन.-मार्च 2000	अप्रैल-जून 2000	जुलाई-सित. 2000
1. निर्यात	8148	9660	10172	10305	10397	11345
2. आयात	12305	13053	13976	16049	15140	15836
जिसमें पी.ओ.एल.	2026	2432	2526	3498	3935	4371
3. व्यापार संतुलन	-4157	-3393	-3804	-5744	-4743	-4491
4. अदृश्य खाते (निवल)	2402	2281	3577	4675	2418	2818
उपादान-भिन्न सेवाएं	412	217	1060	2167	179	332
निवेश से प्राप्त आय	-811	-1020	-790	-938	-1183	-884
निजी अन्तरण	2744	3018	3181	3313	3362	3308
सरकारी अनुदान	57	66	126	133	60	62
5. चालू खाता अधिशेष	-1755	-1112	-227	-1069	-2325	-1673
6. विदेशी सहायता (निवल)	-9	130	356	424	-343	-34
7. वाणिज्यिक उधार (निवल)	61	19	-148	381	-219	114
8. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (निवल)	-78	-78	-78	-26	-26	—
9. अनिवासी जमा (निवल)	611	321	558	650	752	610
10. रुपया ऋण सेवा	-518	-3	-49	-141	-460	-1
11. विदेशी निवेश (निवल)	1340	1066	739	1972	1197	569
जिसमें से :						
(i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (निवल)	441	616	393	643	594	488
(ii) विदेशी संस्थागत निवेश	842	112	233	948	158	-204
(iii) यूरो इक्विटी तथा अन्य	57	338	113	381	445	285
12. अन्य प्रवाह (निवल)	1760	-934	873	1106	377	2
13. कुल पूँजी खाता (निवल)	3167	521	2251	4366	1278	1260
14. प्रारक्षित उपयोग (- बढ़ोतरी)	-1412	591	-2024	-3297	1047	413
ज्ञापन मर्दे :—						
निर्यात की संवृद्धि — भुगतान संतुलन (%)*	4.9	10.4	23.5	7.9	27.6	17.4
आयात की संवृद्धि — भुगतान संतुलन (%)*	-1.9	7.7	19.8	43.1	23.0	21.3
(क) जिसका, पी.ओ.एल. (%)*	53.5	53.1	66.7	74.2	94.2	79.7

@ वास्तविक आंकड़े

* गत वर्ष की तदनुरूपी समयावधि के निर्यात, आयात तथा पी.ओ.एल. से सम्बन्धित संवृद्धि दर।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

व्यापार घाटा

1.80 भुगतान संतुलन खाते पर व्यापार घाटा वर्ष 1998–99 में 13.2 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 3.2 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 17.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था जो संघ.उ का 3.8 प्रतिशत है। निर्यातों के मामले में वर्ष 1998–99 में (–)3.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि काफी सुधर कर वर्ष 1999–2000 में 11.6 प्रतिशत हो गई थी। इसी प्रकार भुगतान आधार पर कुल आयात में भी वर्ष 1999–2000 में तेजी से 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतः तेल आयात बिल में 63 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के कारण है।

1.81 भारी बैंक के अद्यतन ट्रैमासिक भुगतान संतुलन (बी.ओ.पी.) अनुमानों के अनुसार निर्यात में 22.1 प्रतिशत और आयातों में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे अप्रैल-सितम्बर, 2000 में 9.2 बिलियन अमरीकी डालर पर व्यापार घाटा 22.3 प्रतिशत था। कच्चे एवं पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों में काफी वृद्धि हुई जो अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों पर निरंतर दबाव के कारण अप्रैल-सितम्बर 1999 में 4.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़कर अप्रैल-सितम्बर, 2000 में 8.3 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गये थे।

1.82 चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात वृद्धि में और तेजी आई है। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांचियकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई.एस.) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 2000 में अमरीकी डालर मूल्य में विक्रय माल के निर्यातों ने 20.4 प्रतिशत की अत्याधिक वृद्धि दिखाई है जो अप्रैल-दिसम्बर, 1999 की 10.3 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है। अप्रैल-दिसम्बर, 1999 में 10.7 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2000 में आयातों में 9.0 की वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि मुख्यतः तेल आयातों में निरंतर उछाल का परिणाम है जो अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के बढ़ने से तेजी से 78.2 प्रतिशत बढ़ गये। फिर भी पी.ओ.एल. आयातों में तेजी को गैर-पी.ओ.एल. आयातों जिनमें 8.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कमजोर घरेलू मांग और औद्योगिक क्रियाकलापों की मंदी को प्रदर्शित करते हैं, से प्रति-संतुलित किया गया है। निर्यातों में निरंतर उछाल और गैर-पी.ओ.एल. (पेट्रोल, तेल एवं लुब्रिकेंट) आयातों की कमी के रूख के परिणामस्वरूप सीमाशुल्क व्यापार घाटे में काफी गिरावट आई जो अप्रैल-दिसम्बर, 1999 में 8.2 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर अप्रैल-दिसम्बर, 2000 में 5.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

व्यापार-नीति

1.83 वर्ष 2000–01 के दौरान व्यापार नीति सुधारों एवं परिवर्तन में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बुनियादी सीमा शुल्क की अधिकतम दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई और सीमा शुल्क दरों में स्लैब संख्या पांच के स्थान पर चार कर दी गई है (अर्थात् 35, 25, 15 और 5 प्रतिशत)।
- विभान्न मदों (अधिकांशतः उपभोक्ता सामान एवं कृषि उत्पाद) पर शुल्क; जिन पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाये गये हैं, की अधिकतम दर (35 प्रतिशत + अधिभार) लगाई गई है ताकि इन मदों को पर्याप्त टैरिफ संरक्षण दिया जा सके।
- आयातों एवं निर्यातों को शासित करने वाले नियमों एवं विनियमों की बहुलता से निर्यात उत्पादन को मुक्त करने को प्रोत्साहित करने के दृष्टि से विशेष आर्थिक जीवों की स्थापना।
- निर्यात संबंधित आधार सुविधाओं के विकास के लिये राज्यों को उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर सहायता प्रदान करने हेतु स्कीम तैयार करना।
- 1 अप्रैल, 2001 से विशेष आयात लाइसेंस समाप्त करने सहित वर्तमान निर्यात संवर्धन स्कीमों को युक्तिसंगत बनाना।
- महत्वपूर्ण (कोर) क्षेत्रों के लिये घोषित निर्यातों में तेजी लाने हेतु क्षेत्र विशिष्ट उपाय।
- एस.आई.एल. के प्रत्यर्पण पर कोई लाइसेंस प्राप्त किये बिना 10 वर्ष से कम पुराने पूँजी सामान के आयात की अनुमति।
- पात्र श्रेणियों को समान रूप से लाभ प्रदान करके और पूँजीगत मालों की परिभाषा में विस्तार करके मान्य निर्यात लाभों को युक्तिसंगत बनाया गया।
- वस्त्र निर्यातों में तेजी लाने के लिये नई वस्त्र उद्योग नीति में लघु क्षेत्र उद्योग-आरक्षण की परिसीमा से वस्त्र उद्योग क्षेत्रक का अनारक्षण।

अदृश्य लेखा

1.84 अदृश्य आय की निवल प्राप्ति वर्ष 1998–99 में 9.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 12.9 बिलियन अमरीकी डालर की अभूतपूर्व वृद्धि पर पहुंच गई।

निजी अंतरणों एवं साफ्टवेयर सेवा निर्यातों में निरंतर तेजी के परिणाम स्वरूप सकल अदृश्य प्राप्तियाँ 17.7 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 30.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। निजी अन्तरण प्राप्तियाँ 18.8 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 12.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। साफ्टवेयर सेवा निर्यात में वर्ष 1998–99 को समाप्त चार वर्षों के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर से बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 1999–2000 में वृद्धि की गति का बनाये रखा गया जब उसने 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और वह 4.02 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया।

1.85 सकल अदृश्य भुगतानों ने वर्ष 1999–2000 में लगभग 5.0 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि प्रदर्शित की जब यह वर्ष 1998–99 में 16.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 17.4 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गये थे, जो ब्याज एवं लाभांशों, वित्तीय सेवाओं, प्रबंध सेवाओं, विज्ञापनों, रायलटी एवं लाइसेंस शुल्क के कारण भुगतानों में उचित बढ़ोत्तरी को प्रदर्शित करते हैं।

1.86 वर्ष 2000–01 में अदृश्य आमदों में तेजी बनी रही। भारतीय बैंक के त्रैमासिक भुगतान संतुलन अनुमानों के अनुसार निवल अदृश्य अप्रैल–सितम्बर, 1999 में 4.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल–सितम्बर 2000 में 5.2 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गये थे जिसका मुख्य कारण इसी अवधि के दौरान निजी अंतरणों का 5.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 6.7 बिलियन अमरीकी डालर हो जाना है।

पूंजी-लेखा

1.87 पूंजी प्रवाह में वर्ष 1999–2000 में काफी सुधार हुआ। भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में पूंजी का निवल अंतर्वाह 2.4 बिलियन अमरीकी डालर बढ़कर वर्ष 1998–99 के 7.9 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 1999–2000 में 10.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। यह सुधार मुख्यतः पोर्टफोलियो निवेशों में तेजी से वृद्धि एवं अनिवासी जमा राशियों में निरंतर तेजी के कारण हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निधियों की नई आवकें वर्ष 1999–2000 में बढ़कर 2135 मिलियन अमरीकी डालर हो गयी थीं जो वर्ष 1998–99 में 390 मिलियन अमरीकी डालर की जावकें की तुलना में हैं। वर्ष 1999–2000 में अनिवासी जमा राशियों में निवल प्राप्तियाँ 2140 मिलियन अमरीकी डालर थीं। विदेशी सहायता का सकल वितरण सामान्य रूप से वर्ष 1999–2000 में बढ़कर 3074 मिलियन अमरीकी डालर हो गया था जो वर्ष 1998–99 में 2726 मिलियन अमरीकी डालर की

तुलना में है। वर्ष 1999–2000 में 3187 मिलियन अमरीकी डालर के वाणिज्यिक शर्तों पर सकल ऋणों में मामूली वृद्धि हुई जो वर्ष 1998–99 में 2995 बिलियन अमरीकी डालर के ऐसे ऋणों (रिसर्जेन्ट इंडिया बाण्ड्स के माध्यम से उधार को छोड़कर) की तुलना में है।

1.88 वर्ष 2000–01 के पूर्वाढ़ के दौरान निवल पूंजी अंतर्वाह केवल 2.5 बिलियन अमरीकी डालर है जबकि अप्रैल–सितम्बर 1999 में यह 3.7 बिलियन अमरीकी डालर था। निवल पूंजी अंतर्वाह में गिरावट विदेशी सहायता पर निवल और विदेशी वाणिज्यिक ऋण खातों पर बर्हिप्रवाहों के कारण है यद्यपि विदेशी निवेश और अनिवासी जमा राशियों के मामले में निष्पादन अच्छा था। इण्डिया मिलेनियम डिपोजिट (आईएमडी) के माध्यम से एन॰आर॰आई॰/ओ॰सी॰बी॰ से भारते बैंक द्वारा अक्तूबर–नवम्बर 2000 में 5.51 बिलियन अमरीकी डालर की जुटाई गयी निधियों से पूंजी प्रवाह में बढ़ोत्तरी हुई।

पूंजी लेखा सुधार

- ई-कामर्स में विनिर्दिष्ट शर्तों पर 100 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डी॰आई॰) की अनुमति दी गई है।
- एफ़डी॰आई॰ के लिये बाईस उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में लाभांश संतुलन शर्त हटा दी गई है।
- विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण (परमाणु-रियेक्टर संयंत्रों को छोड़कर) वाली परियोजनाओं में एफ़डी॰आई॰ के लिये 1500 करोड़ रु की वर्तमान उच्चतर सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
- महत्वपूर्ण तेल-शोधक क्षेत्रक में विदेशी निधियों की अधिक प्राप्ति के लिये तेल शोधन में स्वतः मार्ग के अधीन एफ़डी॰आई॰ की अधिकतम सीमा वर्तमान 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है।
- कुछ क्रियाकलापों को छोड़कर विशेष आर्थिक क्षेत्र में सभी विनिर्माण क्रियाकलापों के लिये स्वतः मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत एफ़डी॰आई॰ की अनुमति दी गई है।
- भारतीय कम्पनियों की निर्गत एवं प्रदत्त पूंजी में कुल विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश कुद विनिर्दिष्ट शर्तों पर 24 प्रतिशत की सामान्य सीलिंग से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करके प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों को अधिक सहूलियत दी गई है।

- बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की शर्त पर बीमा क्षेत्रक में 26 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की स्वतः मार्ग के अधीन स्वीकृति दी गई है।
- ईंसोबी० मार्ग-निर्देशों को उदार बनाया गया है। संसाधन जुटाने के लिये एक “विण्डो” के रूप में ईंसोबी० के उपयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु नीति-उदारीकरणों की एक श्रृंखला लागू की गई है।
- भारतीय कंपनियों द्वारा ए०डी०आर०/जी०डी०आर० के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पेशकशों से संबंधित नीतियों को और उदार बनाया गया है।
- “गेटवे०” प्रदान न कर रहे इंटरनेट सेवा प्रदायकों, “डार्क फाइबर” “इलैक्ट्रोनिक मेल” एवं “वॉइस मेल” प्रदान कर रहे आधार सुविधा प्रदायकों के लिए दूरसंचार क्षेत्रक में 100 प्रतिशत एफ०डी०आई० की अनुमति (कुछ शर्तों पर) दी गई है।

विदेशी मुद्रा रिजर्व

1.89 विदेशी मुद्रा रिजर्व में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्णधारितायें और एस०डी०आर० शामिल हैं। वर्तमान लेखा घाटा में नरमी और वर्ष 1999-2000 में निवल पूँजी प्राप्तियों में काफी तेजी के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा रिजर्व में बढ़ोत्तरी हुई जो वर्ष 1998-99 के 3.8 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोत्तरी की तुलना में सर्वाधिक 6.1 बिलियन अमरीकी डालर है।

1.90 वर्ष 2000-2001 के पूर्वार्ध के दौरान विदेशी मुद्रा रिजर्व ने भारी तेल आयात बिल से उत्पन्न विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त मांग के कारण गिरावट का रूख प्रदर्शित किया। भुगतान संतुलन के त्रैमासिक अनुमानों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 2000 में विदेशी मुद्रा रिजर्व में 14.60 बिलियन अमरीकी डालर की कमी आई जो अप्रैल-सितम्बर, 1999 में 8.21 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में है। इसके बाद, जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, भा० स्टेट बैंक द्वारा जारी आई०एम०डी० निर्गमों ने 5.51 बिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा आस्तियां जुटाने में मदद की जिन्हें नवम्बर, 2000 में भार० रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा रिजर्व में जोड़ दिया गया। जनवरी, 2001 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा रिजर्व (स्वर्ण एवं एस०डी०आर० सहित) लगभग 41 बिलियन अमरीकी डालर था जिसके अंतर्गत वर्ष 2000-01 में 8 महीने तक निर्दिष्ट आयात किये जा सकते हैं।

विनिमय दर

1.91 अमरीकी डालर की तुलना में रूपये की विनिमय दर व्यापक रूप से बाजार-निर्धारित बनी हुई है। वर्ष 1999-2000 के दौरान विनिमय दर बाजार ने उचित स्थायित्व प्रदर्शित किया जिसमें रूपये का लगभग 2.9 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ। वर्ष 2000-01 में मई 2000 के मध्य से रूपया-डालर दर पर भारी गिरावट का दबाव रहा। विदेशी मुद्रा बाजार अत्यधिक अनिश्चितता से प्रभावित रहे जब अप्रैल अंत और अक्टूबर, 2000 के अंत की अवधि के दौरान रूपये का 6.7 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ। नवम्बर, 2000 से स्थिति में काफी सुधार हुआ है और विदेशी मुद्रा बाजार अपेक्षतया स्थिर रहे हैं और अमरीकी डालर की तुलना में रूपये की विनिमय दर में भी आंशिक रूप से सुधार हुआ है। जनवरी, 2001 के अंत में रूपये की विनिमय दर 46.415 रु० प्रति डालर थी जो मार्च, 2000 के अंत में 43.605 रु० की दर की तुलना में 6.1 प्रतिशत का अवमूल्यन प्रदर्शित करता है।

विदेशी ऋण

1.92 सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी ऋण के अनुपात में गत वर्षों में निरंतर गिरावट आई है। यह दरें मार्च, 1999 के अंत में 23.6 प्रतिशत से सुधर कर मार्च, 2000 के अंत में 21.9 प्रतिशत और सितम्बर, 2000 के अंत में 20.7 प्रतिशत पर थीं। विदेशी ऋण का संपूर्ण मूल्य मार्च, 1999 के अंत में 97.68 बिलियन अमरीकी डालर से मामूली रूप से बढ़कर मार्च 2000 के अंत में 98.44 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था और सितम्बर, 2000 के अंत में घटकर 97.86 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था। कुल ऋण में अल्पकालिक ऋण का हिस्सा मार्च, 2000 के अंत में 4.1 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर, 2000 के अंत में 4.6 प्रतिशत था। ऋण-अदायगी अनुपात वर्ष 1998-99 में 18 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1999-2000 में 16 प्रतिशत हो गया था।

मुद्रे और प्राथमिकतायें

1.93 पिछले दशक को भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारों का दशक कहा जा सकता है। जहां इस दशक के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिक, वित्तीय और विदेशी क्षेत्रकों के संरचनात्मक सुधारों का पहला चरण दृष्टिगोचर होता है वहां अंतिम वर्ष आर्थिक-पुनर्संरचना के दूसरे चरण के शुभारंभ को प्रदर्शित करते हैं। यह सुधार-दशक अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सफल रहा जैसा कि संघठु की उच्च वृद्धि दर, संतोषजनक-विदेशी मुद्रा रिजर्व, अल्पकालिक ऋण स्थिति सुधार, सामान्य मुद्रास्फीति एवं निर्यातों की तेजी से प्रदर्शित होता है।

वर्तमान-स्थिति

1.94 इस समय अर्थव्यवस्था एक कठिन स्थिति में है। आगामी वर्ष में वृद्धि की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लगातार दूसरे वर्ष अनियमित वर्षा के कारण वर्ष 2000-01 में कृषि विकास कम या शून्य रहा है। औद्योगिक विकास में कमी प्रतीत होती है और नये निवेशों के लिए आकर्षण उत्पन्न नहीं हो पाया है। उच्च अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों और अमरीकी अर्थव्यवस्था की मंदी, जिससे संपूर्ण विश्व के प्रभावित होने की संभावना है, के कारण यह समस्या और भी बिकट हो गई है। यद्यपि सौभाग्य से गुजरात के बड़े उद्योग हाल के भयंकर भूकम्प की विधिविकाओं से बच गये हैं परन्तु वृद्धि की प्रक्रिया पर विस्थापन के प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः यह अनिवार्य है कि आने वाली आर्थिक स्थिति पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जाय। अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास जागृत करने के उपायों की जरूरत है ताकि 1990 के दशक की विकास गति को सुधारा जा सके।

1.95 आर्थिक सुधार साधनों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद सुधार प्रक्रिया में अभिज्ञेय अंतराल अर्थ-व्यवस्था की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को अभी भी अच्छादित किए हुए हैं। राजकोषीय स्थिति 1996-97 से बदतर हो गई है। केन्द्र सरकार की बकाया देनदारियां (भारि० बैंक-भिन्न) वर्ष 1999-2000 में संघ०३ का 51.8 प्रतिशत हो गई है। यह और भी चिंताजनक है कि वर्ष 1996-97 से इनमें बढ़ोत्तरी का रूख बना हुआ है जब यह संघ०३ के 46.4 प्रतिशत पर थीं। किसी भी अन्य संकेतक की तुलना में ये राजकोषीय अस्थायित्व के मुद्दे के द्योतक हैं जबकि अधिक पारम्परिक संकेतक इस स्थिति को और स्पष्ट करने में सहायक हैं।

1.96 केन्द्रीय राजकोषीय घाटा वर्ष 1996-97 में संघ०३ के 4.1 प्रतिशत के निम्न स्तर से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में संघ०३ का 5.5 प्रतिशत हो गया है। राजस्व घाटे ने भी यही रूख प्रदर्शित किया और वर्ष 1990-91 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में अब वर्ष 1999-2000 में यह 3.5 प्रतिशत के अपेक्षित या उच्च स्तर पर है। यद्यपि वर्ष 1999-2000 में प्राथमिक घाटा संघ०३ के 0.8 प्रतिशत पर वर्ष 1990-91 की तुलना में 2 प्रतिशतांक कम है, परन्तु यह मुख्यतः पूंजीगत व्यय में 1.9 प्रतिशतांक की कटौती के कारण है। व्याज भुगतान वर्ष 1990-91 में संघ०३ के 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में संघ०३ का 4.7 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि वर्ष 2000-01 के केन्द्रीय बजट में इस प्रवृत्ति को पलटने का प्रयत्न किया गया था, फिर भी गुजरात के भूकम्प जैसे बहिर्जात आघातों के परिप्रेक्ष्य में इस दिशा में निरंतर प्रयत्नों की जरूरत होगी।

1.97 भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्या केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर उच्च राजकोषीय घाटे का बना रहना है। समग्र रूप से केन्द्र और राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे को संघ०३ के 10 प्रतिशत से नीचे लाने की आवश्यकता है। उच्च राजकोषीय घाटे का बने रहना केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के व्यय बजट में ऋण अदायगी के बढ़ते हुए हिस्से के रूप में प्रत्यक्षतः परिलक्षित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप किसी भी स्तर पर महत्वपूर्ण सरकारी निवेश करने की सरकार की क्षमता गंभीर रूप से कम हो गई है। इससे भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है। अवसंरचना में सरकारी निवेश के अभाव ने निजी निवेश को भी मंद कर दिया है। उच्च राजकोषीय घाटे के परिणामस्वरूप निरंतर उच्च उधार ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को उच्च बनाए रखा है। इस प्रकार उद्योग के समक्ष 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की अत्यधिक उच्च वास्तविक ब्याज दरें हैं जो विश्व में सर्वाधिक उच्च हैं। अतः विदेशी तथा घेरेलू दोनों प्रकार के निजी उद्योग के लिए विश्वासपूर्वक नए निवेश करना कठिन है। अर्थव्यवस्था में विश्वास उत्पन्न करने के लिए कार्बाइंड का प्रमुख क्षेत्र राजकोषीय सुधार के लिए एक विश्वसनीय मध्यावधि-कार्यक्रम से संबंधित है। इस संकटकाल में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

प्रमुख समस्याएं

1.98 विगत दशक में राजकोषीय घाटे के संघटकों में परिवर्तन राजकोषीय समस्या के कारणों के साथ ही संभावित समाधानों का भी संकेत देता है। वर्ष 1980-81 से वर्ष 1991-92 तथा वर्ष 1992-93 से वर्ष 1999-2000 की अवधि के बीच केन्द्र सरकार के सकल कर राजस्व में स.घ.उ. के 0.9 प्रतिशतांक की कमी हुई है। यह कमी मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर राजस्व में 1.6 प्रतिशतांक की कमी की वजह से हुई। इसके विपरीत, प्रत्यक्ष करों में स.घ.उ. के 0.7 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई। इस बढ़ोत्तरी ने सीमाशुल्क राजस्व में कमी की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति की, लेकिन यह समग्र अनुपात में गिरावट को रोकने में असमर्थ रही। अप्रत्यक्ष करों में सीमाशुल्क राजस्व में कमी प्रत्याशित थी, तथापि उत्पादशुल्क राजस्व के बारे में ऐसी प्रत्याशा नहीं की गई थी।

1.99 वर्तमान राजकोषीय समस्या का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक सरकारी पेंशन तथा भविष्य निधियों पर प्रशासित ब्याज दरें हैं। इन दरों की सांकेतिक अनम्यता का अर्थ है कि इनमें मुद्रास्फीति की दर के साथ परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति कम होने पर सरकारी ऋण पर वास्तविक ब्याज दरें काफी अधिक थीं। मुद्रास्फीति (थोक

मूल्य सूचकांक) के वर्ष 1990-95 की अवधि के दौरान औसत 11 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1995-99 के दौरान औसत 5.6 प्रतिशत हो जाने के कारण पेंशन तथा भविष्य निधियों पर वास्तविक ब्याज दरें औसत 1 प्रतिशत से काफी बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गयीं। अल्पावधिक बाजार पर अन्तर्निहित ब्याज दर आधारों तथा सरकारी प्रतिभूतियों एवं राजकोषीय हुण्डियों के लिए बाजार की अल्पविकसित प्रकृति ने भी सरकारी ऋण पर ब्याज की उच्च दरों में योगदान किया है।

1.100 उच्च राजकोषीय घाट बाजार ब्याज दरों तथा अंतराष्ट्रीय जोखिम प्रीमियम पर उर्ध्वमुखी दबाव बनाता है तथा सभी उत्पादकों के लिए पूंजी लागत में वृद्धि करता है। लोक ऋणों के द्वारा निजी निवेश में कमी भी किसी औद्योगिक समुद्धान के लिए संभावित खतरा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास सार्वजनिक वस्तुओं तथा बुनियादी वाणिज्यिक-भिन्न अवसंरचना जिनकी गुणवत्ता में निरंतर ह्वास हो रहा है, पर व्यय करने के लिए काफी कम राशि उपलब्ध है। अकुशल एकाधिकार, यथा विद्युत क्षेत्र में, अतिरिक्त लागत आरोपित करता है, जो कि भारतीय विनियोगीण एवं कृषि की प्रतिस्पर्धा शक्ति को कम करता है। सुधार प्रक्रिया में श्रम कानून एवं प्रक्रियाओं, दिवालियापन, भूमि हदबंदी तथा किराया नियंत्रण एवं लघु उद्योग आरक्षण से संबंधित अन्य अंतराल औद्योगिक पुरस्तरचना में बाधा पहुंचाते हैं, लागतों में वृद्धि करते हैं तथा अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करते हैं। वर्ष 1994-95 से वर्ष 1996-97 के दौरान औद्योगिक एवं संघातों की उच्च वृद्धि दरों को केवल सुधार प्रक्रिया में इन महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करके ही दुहराया जा सकता है।

संभावित समाधान

निजीकरण

1.101 विगत आधी शताब्दी में राजकोषीय घाटे तथा ऋणात्मक बचतों के साथ ही सरकार की उत्पादन गतिविधियों में विस्तार हुआ है। इसके साथ ही सार्वजनिक वस्तुओं तथा बनियादी भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना में निवेश के लिए निधियों की कमी रही है तथा उनकी गुणवत्ता में ह्वास हुआ है। यह आवश्यक है कि सरकार उत्पादन कार्य से हट जाए तथा सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान में अपनी उपस्थिति एवं निष्पादन में सुधार करें। व्यापक नौकरशाही ढांचे, उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों तथा जटिल अन्तर्जाच के कारण सरकारें प्रतिस्पर्धी, तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक उत्पादन की अपेक्षाओं के लिए अनुपयुक्त हैं। इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया

गया है तथा निजीकरण प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। निजीकरण के फलस्वरूप सरकार उन सार्वजनिक वस्तुओं तथा बुनियादी अवसंरचना पर पूंजी व्यय कर सकेगी, जो कि वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। इस प्रकार केंद्रीय पूंजी व्यय के एक महत्वपूर्ण हिस्से का पुनर्आवंटन किया जा सकता है, अगर निजी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली सरकारी क्षेत्र की सभी इकाईयों को जनता को बेच दिया जाए। निजीकरण से प्राप्त निधियों से इन इकाईयों को स्थापित करने के लिए उपगत लोक ऋण को कम करने में मदद मिलेगी तथा ऋण-संघ.उ. अनुपात वहनीय पथ पर आ जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से, निजीकरण प्रतिस्पर्धी सरकारी उद्यमों को पुनः कार्यकुशल ढंग से संचालन करने में समर्थ बनाएगा तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने में उनकी सहायता करेगा।

1.102 भारतीय आधारभूत उद्योगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी क्षेत्र में बना हुआ है। संसाधनों में कमी के कारण नब्बे के दशक में सरकारी क्षेत्र औद्योगिक वृद्धि निजी क्षेत्र औद्योगिक वृद्धि की तुलना में काफी कम रही है, तथा यह अस्सी के दशक में स्वयं अपनी वृद्धि से भी कम है। अतः सरकारी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी हिस्से का त्वरित निजीकरण औद्योगिक वृद्धि को भी प्रेरित करेगा।

व्यय नियंत्रण

1.103 सुधारों के दूसरे चरण में व्यय प्रबंध को एक मुख्य आधार माना गया है। इस संबंध में आधारभूत मुद्दा अपव्यय को न्यूनतम करना तथा सार्वजनिक वस्तुओं, बुनियादी अवसंरचना तथा सामाजिक कल्याण को निधियों का पुनर्आवंटन करना है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक तथा व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट व्यय संरचना को इसी दिशा में बढ़ाने के लिए तय की गई हैं।

रक्षा व्यय

1.104 रक्षा व्यय वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1996-97 में संघ.उ. का 2.2 प्रतिशत हो गया था। कारगिल के पश्चात् बढ़े हुए सुरक्षा खतरे के कारण यह पुनः बढ़कर नब्बे के दशक के शुरूआती वर्षों के स्तर पर पहुंच गया है। अगर रक्षा सेवाओं के उपस्कर बजट की बढ़ी हुई मांग को बिना अनुपात को और बढ़ाए पूरा किया जाना है, तो आधुनिक प्रबंध प्रणाली को गहन एवं व्यापक रूप से प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। इसमें सभी रक्षा उत्पाद इकाईयां, अधिप्राप्ति तंत्र, संभरण श्रृंखला प्रबंध, संभार-तंत्र तथा सामान सूची अवश्य शामिल की जानी चाहिए।

राज सहायताएं

1.105 राज सहायताएं इस अर्थ में अप्रत्यक्ष करों के समान हैं कि वे उत्पादन और वितरण की लागत तथा राज सहायता प्राप्त क्रेता द्वारा दिए जाने वाले मूल्य के बीच अंतराल बनाते हैं। पूर्णतया अनम्य वस्तुओं को छोड़कर, ये उपभोग ढांचे में विरुपण पैदा करते हैं। वृहत् राज सहायताएं लगान-इच्छुक विपथन तथा भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन देने की काफी गंभीर समस्या भी पैदा करती हैं। प्रति इकाई राज सहायता जितनी ज्यादा होगी, उसके क्षण की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। राष्ट्रीय लोक वित एवं नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.) द्वारा राजसहायता पर किए गए अध्ययन में जैसा कि उद्घाटित किया गया है, राज सहायता की अप्रत्यक्ष लागत प्रत्यक्ष बजटीय राज सहायताओं से काफी अधिक है। अतः राजसहायता में कमी किए जाने, शेष राजसहायता को गरीबों को उपलब्ध कराने तथा गरीबों के संरक्षण के लिए अधिक प्रभावी तंत्र की खोज किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए उर्वरक, पैट्रोलियम तथा चीनी क्षेत्रों को शासित करने वाले मौजूदा नियंत्रण तंत्रों में प्रगति की आवश्यकता है।

1.106 उर्वरक में प्रतिधारण मूल्य प्रणाली सबसे अधिक कालदोषपूर्ण है। विभिन्न अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि विश्व के मूल्यों पर निर्भर करते हुए, उर्वरक आर्थिक राजसहायता का 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हिस्सा उत्पादकों तक पहुंचता है। अनेक समितियों यथा हनुमंत राव समिति तथा अलघ समिति ने इसके विघटन की अनुशंसा की है। जितना शीघ्र यह किया जाता है, उतनी ही तीव्रता से निवेश की उत्पादकता में सुधार तथा ऊर्जा सक्षमता के लिए सामान्य बाजार प्रोत्साहन संचालन में आएंगे। कृषकों पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, उर्वरक तथा प्राकृतिक गैस के मूल्यों को उचित सीमाशुल्क तथा उत्पादशुल्क के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के समतुल्य बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। चूंकि, मौजूदा मूल्य यूरिया की भूमिगत लागत से करीब हैं, इसलिए इस दिशा में सख्त कार्रवाई करने के लिए यह एक उचित समय है।

1.107 कोयला तथा पैट्रोलियम क्षेत्रों को भी नियंत्रणमुक्त किया जाना आवश्यक है ताकि उर्वरक तथा विद्युत उत्पादक किसी घरेलू या आयतित ऊर्जा निविष्टि का प्रयोग करने में स्वतंत्र रहे। कोयला तथा पैट्रोलियम क्षेत्रों को नियंत्रणमुक्त करने से यह भी सुनिश्चित होगा कि इन उत्पादों के घरेलू उत्पादक उचित तथा साम्यापूर्ण आधार पर कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करें। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि उर्वरक तथा विद्युत उत्पादक सर्वाधिक प्रतियोगी मूल्यों पर सर्वोत्तम निविष्टियां प्राप्त कर सकें।

1.108 यह सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य सुधार उपाय किए जाने की आवश्यकता है कि खेतीबाड़ी की लाभप्रदता बढ़ाई जाए तथा ग्रामीण निर्धनों को भी दक्षता तथा उत्पादकता सुधार के लाभ प्राप्त हों। उत्पादन, भंडारण, परिवहन व्यापार (घरेलू एवं विदेशी) के व्यापक विनियंत्रण तथा कृषीय वस्तुओं तथा कृषि में प्रयुक्त निविष्टियों के प्रक्रियान्वयन की आवश्यकता है खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में वृहत् सुधार की आवश्यकता है जिसमें भारतीय खाद्य निगम की एकाधिकार भूमिका तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन में परिवर्तन शामिल है। खाद्य आर्थिक राजसहायता को या तो गारंटीशुदा अकुशल श्रम रोजगार में लगाया जा सकता है जो स्व-चयनित (प्रोत्साहन अनुरूप) हों अथवा नवीनतम स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी (जिसमें एकत्रित फिंगर प्रिंट्स शामिल हैं) का प्रयोग करते हुए भोजन अथवा आय अनुपूरक प्रणाली (निर्धनों के लिए) में लगाया जा सकता है। शर्करा क्षेत्र (जिसमें इसकी निविष्टियां शामिल हैं) को नियंत्रणमुक्त किया जाना चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटाया जाना चाहिए तथा शर्करा विनिर्माण पर कर के प्रभाव को युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिए। उत्पादन में चालू अधिशेष को देखते हुए यह उपाय सुनिश्चित करेंगे कि शर्करा का बाजार मूल्य निर्धनों द्वारा चुकाए जा रहे मौजूदा मूल्य के निकट हो। दीर्घावधि में, पैमाने तथा क्षेत्र की मितव्यिता द्वारा दक्षता बढ़ाने के लिए यह प्रभावशाली प्रोत्साहन होगा।

1.109 सरकारी तथा प्रयोक्ता समूहों को सिंचाई तंत्र चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि इसे सभी कृषकों के लाभ के लिए उचित रूप से अनुकूल तथा विनियमित किया जाए। फार्वर्ड, प्यूचर्स तथा ऑप्शन बाजारों को न केवल सभी कृषि संबंधी वस्तुओं में अनुमेय किया जाए, बल्कि सरकार द्वारा उन्हें सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

1.110 ‘इंटरनेट टेलीफोनी’ को शुरू करने की आवश्यकता है ताकि सूचना संचार क्रांति को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने के लिए इंटरनेट पहुंच तथा टेलीफोन को एक साथ जोड़ा जा सके।

विभागीय उद्यम

1.111 अनेक प्रेक्षकों ने कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में सरकार के विशाल आकार पर विचार किया है। तथापि, बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि यह ज्यादातर विभागीय लोक उद्यमों के विशाल आकार की वजह से हैं जिनके कर्मचारी तकनीकी रूप से सरकार के कर्मचारी हैं तथा जिन्हें बजट दस्तावेजों में इसी प्रकार दर्शाया गया है। कई लोग कहते हैं कि यह बिल्कुल उचित है क्योंकि वे महालेखा नियंत्रक की

लेखापरीक्षा तथा संसदीय निरीक्षण के राजनैतिक दबावों के अध्यधीन अफसरशाही संस्कृति से अनुप्रेरित हैं। इसकी बजह से इन उद्यमों (विभागीय लोक उद्यमों) में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी, पूंजी में कमी तथा सेवा गुणवत्ता में गिरावट हुई। इन विभागीय उद्यमों का कम्पनियों में तब्दील होना, उनको वाणिज्यिक संस्कृति से अनुप्रेरित करने तथा उनको बाजार प्रोत्साहनों तथा प्रतियोगी दबावों के अध्यधीन लाने के लिए अनिवार्य है। “राज्य एकाधिकार” के साथ “सार्वजनिक क्षेत्र” को पहचान को एक सार्वजनिक क्षेत्र, जो लोगों/जनता के स्वामित्वाधीन हो, द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की जरूरत है। तब इन नयी बनी कंपनियों में शेयरों को केवल बड़े रक्षा तंत्रों का उत्पादन करने वाली कंपनियों में अधिकांश हिस्सा रखते हुए अन्ततः जनता को ही बेचा जाएगा। शेयरों की बिक्री से प्राप्त निधियों को उनके द्वारा तथा उनके लिए उपगत ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। प्राकृतिक एकाधिकार खण्डों यथा रेल मार्ग नेटवर्क को शामिल करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का साथ ही गठन किया जाना होगा।

सरकार का आकार कम करना

1.112 विभागीय लोक उद्यमों की तुलना में, सरकारी प्रशासन के आकार में कमी से स्वतः कोई खास राजकोषीय बचत नहीं होगी। इस प्रकार आकार कम करने का प्राथमिक प्रयोजन अफसरशाही नियंत्रणों को खत्म करना तथा तंत्र में अभी तक प्रवृत्त कालदोषपूर्ण अधिकार की मानसिकता को बदलना है। तदनुसार इस प्रकृति की सभी कर्मचारी स्थितियों को अभिज्ञात एवं समाप्त किया जाना चाहिए। इसको सचमुच प्रभावी तथा कायम रखने के लिए, प्रभागों, विभागों तथा मंत्रालयों को जिनका प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित तथा निदेशित करना था, बन्द कर देना चाहिए। एक बार यह कर दिया गया, तो सरकार आर्थिक वृद्धि तथा निवेश की मददगार बनने पर बाध्य हो जाएगी। यह तब अपना ध्यान सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था तथा आधारदांचों, जिसका ज्यादा भाग ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां अधिकांश निर्धन निवास करते हैं, के महत्वपूर्ण गैर-वाणिज्यिक खण्डों की व्यवस्था पर केंद्रित कर सकता है,

कर-सुधार

1.113 दरें कम करने, कर दायरा बढ़ाने और कर प्रशासन का आधुनिकीकरण करने की प्रत्यक्ष कर सुधार-कार्यनीति अधिकांशतः सफल रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान अधिभारों को लागाने के कारण लागू मार्जिनल दरों में बढ़ोतरी के बावजूद स.घ.उ. अनुपात

में प्रत्यक्ष कर की वृद्धि अल्पकालिक रूप से बनाये रखी गई है। ईमानदार कर-दाताओं का दीर्घकाल तक विश्वास बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि वैयक्तिक एवं कंपनी आयकर दरों को ऐसे स्तरों पर रखा जाय जिससे कर अपवंचन का लालच समाप्त हो सके। आर्थिक रूप से अनुचित छूटों और कटौतियों को समाप्त करने के लिये भी अधिक गहन एवं व्यवस्थित प्रयत्नों की आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ा भण्डारण, आंकड़ा खनन और विश्लेषण के व्यापक उपयोग तथा आर्थिक आंकड़ों के उपयोग सहित कर प्रशासन के पूर्ण आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। लेखा परीक्षा प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए कि उच्च आय वर्ग के करदाता जो संभवतः कर अपवंचन अधिक कर सकते हैं, उन्हें इस कर जाल में पकड़ा जा सके बजाय उनके कि जो अधिकांश आय की घोषणा करते हैं और कर देते हैं।

1.114 गत दशक में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन किये गये हैं। यद्यपि “सेनवैट” (केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर) शुरू करने से युक्तिसंगतीकरण एवं सरलीकरण की यह प्रक्रिया पूरी होने की आशा की गई थी फिर भी कुछ कमियां रह गई हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर एक सरल परन्तु समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली स्थापित हो जाएगी जिसका अनुपालन करना ईमानदार करदाताओं के लिये आसान होगा। उत्पाद शुल्क अपवंचन को रोकने में भी यह अधिक कारगर और सक्षम उपाय प्रदान करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय “वैट” में एक उचित “सेनवैट” आसानी से विकसित किया जा सकेगा।

1.115 कर-जाल के अधीन अधिक सेवाओं को लाने से निम्नतर सीमाशुल्क-टैरिफों के माध्यम से राजस्व के संभावित नुकसान की भरपाई की जा सकती है। स.घ.उ. में सेवाओं का बढ़ता हुआ योगदान क्षेत्रक को अधिक संसाधन जुटाने के अनुकूल बनाता है। वर्ष 2000 के उत्तरार्ध के दौरान एक तकनीकी सेवा कर समिति की स्थापना की गई थी जिसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन से एक आर्थिक रूप से युक्तिसंगत सेवा कर स्थापित करने में मदद मिलेगी जिसका बाद में “सेनवैट” के साथ एकीकरण किया जा सकता है। एक सक्षम सेनवैट के साथ एक व्यापक सेवा कर से पूर्व स्तरों के अप्रत्यक्ष कर राजस्वों को जुटाने में मदद मिल सकती है।

1.116 इससे सीमा शुल्क दर कटौतियों को जारी रखना भी संभव हो सकेगा। हमारी प्राथमिक (संरक्षी) सीमाशुल्क दरें अभी भी विश्व में सर्वाधिक दरों में से हैं और उन्हें कम करके एशियाई स्तरों पर लाने की आवश्यकता की आम सहमति है। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये उद्योग एवं व्यापार पर दबाव डालने और भारतीय

अर्थ-व्यवस्था की प्रतियोगिता शक्ति में सुधार लाने के लिये यह अनिवार्य है। परन्तु दर में कटौती के साथ-साथ फैक्टर-बाजार एवं आधार सुविधा सुधारों की भी व्यवस्था होनी चाहिए जो नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन एवं इसे अपनाने, श्रम-उत्पादकता सुधारने, पूँजी एवं भूमि उपयोग तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता करना उद्योग के लिये संभव बनाते हैं।

ब्याज लागत

1.117 प्राथमिक घाटे में कमी के बावजूद राजकोषीय घाटे के अधिक बने रहने का एक कारण ब्याज-लागतों में बढ़ोत्तरी है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्रा भविष्य निधियों एवं पेंशन निधियों के रूप में सरकारी ऋण पर ब्याज दर-निर्धारण की प्रणाली है। इनकी प्रकृति के कारण इन दरों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। पेंशन एवं भविष्य निधियों की निर्धारित ब्याज दरों को मुद्रास्फीति दर, जमा राशियों की लागू अवधि और उपलब्ध कर-छूटें को ध्यान में रखना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कर के बाद इन उधारों पर प्रदत्त वास्तविक ब्याज दर बाजार दरों को प्रदर्शित करे और यह ऋण बाजार में समग्र मांग एवं आपूर्ति दशाओं के अनुरूप हो। लघु-बचत पत्रों पर प्रदत्त ब्याज दरों को समतुल्य बाजार-लिखितों का मापदंड बनाया जाना चाहिए।

1.118 ब्याज दर की अंतर्निहित न्यूनता का कारण देश में ऋण एवं उधार बाजार का सीमित लचीलापन है। यह इस बात से प्रदर्शित होता है कि एक रात्रि और एक दिन के उधार पर सामान्य अंतर्बैंक मांग मुद्रा दर कभी भी 8 प्रतिशत से नीचे नहीं आई। यह इसके बावजूद है कि हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति पूरे एक महीने के लिये शून्य तक आ गई थी। इस प्रकार गत दशकों के दौरान मुद्रास्फीति में गिरावट के बावजूद वास्तविक एक दिवसीय दरें विश्व दरों की तुलना में काफी अधिक रही हैं। यद्यपि उच्च राजकोषीय घाटा मध्यवर्ती एवं दीर्घकालिक दरों का एक कारक है फिर भी एक दिवसीय बाजारों में इसकी बड़ी भूमिका होने की बात सोचना कठिन है। सरकारी प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिलों के बाजार को भी पर्याप्त रूप से व्यापक एवं सघन बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये व्यापक विनियंत्रण एवं सामान आधार पर प्रावधान की आवश्यकता है ताकि संभावित खुदरा निवेशकों को शेयर बाजारों के माध्यम से इन प्रतिभूतियों के लिये सुविधाजनक पहुंच मिल सके।

घरेलू क्षेत्रक सुधार

1.119 प्रतियोगिता दबाव के साथ-साथ भारतीय उद्योग को सक्षम प्रतियोगी बनने के लिये सही परिवेश भी प्रदान किया जाना चाहिए। 1990 के दशक में किये गये आर्थिक नीति परिवर्तनों

और विश्व व्यापी आर्थिक परिवर्तनों को देखते हुए उद्योग के लिये अनिवार्य है कि वह निरंतर रूप से पुनर्संरचना करने में सक्षम हो। ऐसी पुनर्संरचना को बढ़ावा देने वाले उपायों में आढ़तिया बाजार सुधार, बाकी रह गये निवेश नियंत्रणों की समाप्ति और आधारभूत सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार के प्रावधान शामिल हैं। इन सुधारों से शेष आयात प्रतिबंधों को हटाने की परिणामी आयात चुनौतियों का सामना करने में भी भारतीय उद्योग को मदद मिलेगी।

1.120 इन मुद्रों का 1990 के दशक के औद्योगिक विकास अनुभव के परिप्रेक्ष्य में भारी महत्व है। 1990 के दशक के औद्योगिक नीति सुधारों, विदेशी प्रत्यक्ष-निवेश को खोलने, विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्ति में सुधार, एम.आर.टी.पी. की समाप्ति और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की समाप्ति से औद्योगिक उत्पादन से निरंतर उच्च विकास की आशा बनी है। 1990 के मध्य दशक में कुछ प्रगति के बाद औद्योगिक विकास में मन्दी आई है। यह संभव है कि आढ़तिया बाजारों में वर्तमान सख्ती के कारण ऐसा हुआ। विलम्बकारी दिवालिया प्रक्रियाओं के कारण रुग्ण उद्यमों में पूँजी अवरुद्ध रही। वर्तमान श्रम कानूनों से श्रम गतिशीलता में रुकावट आती है और शहरी भूमि हदबन्दी अधिनियम तथा किराया नियंत्रण कानूनों से भूमियों के उपयोग में बाधा पड़ती है। इसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रक में संसाधनों का अधिक उत्पादक उपयोग नहीं हो पाया है विशेषकर श्रमिक उपयोग एवं रोजगार उत्पादक उद्योगों में जिससे निरंतर आधार पर उच्च औद्योगिक विकास हो सकता था।

दिवाला-कानून

1.121 कम्पनी अधिनियम में आधुनिक दिवाला उपबन्धों के प्रावधान, एस.आई.सी.ए. के निरसन और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के विधान से भारतीय उद्योग की पुनर्संरचना में मदद मिलेगी। बी.आई.एफ.आर. प्रक्रिया में इस समय निहित विलम्ब, जो रुग्ण कंपनियों के तुरंत पुनर्गठन या जब आवश्यकता हो उन्हें बंद करने से रोकती हैं, समाप्त कर दिये जाने चाहिए। इससे शेयरधारकों, ऋणदाताओं एवं श्रमिकों को अधिक उत्पादक साधनों की तरफ जाने में मदद मिलेगी जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

श्रम कानून एवं प्रक्रियाएं

1.122 संविदा श्रम कानून अपने विद्यमान रूप में उद्योग के लिए वास्तविक लघु-उद्यमियों द्वारा सेवा प्रदान करना असंभव बना देता है। एक आधुनिक संविदा श्रम अधिनियम को बाहरी स्रोतों से सेवाएं प्राप्त करने को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि नये

रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। श्रम कानूनों और प्रक्रियाओं ने कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए संगठित श्रमिकों हेतु प्रोत्साहन कम कर दिये हैं और संगठित उद्योग के लिए नये कार्य उत्पन्न करना अलाभकारी बना दिया है। अधिक लचीलापन अनिवार्य है यदि भारतीय उद्योग को चीन के उद्योग से प्रतियोगिता करनी है और चीन के बराबर अनेक नये रोजगार उत्पन्न करने हैं।

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा

1.123 राज्यों को, केन्द्र का अनुसरण करने और शहरी भूमि अधिकतम सीमा कानूनों को रद्द करने की आवश्यकता है।

1.124 उपर्युक्त तीन सुधार औद्योगिक पुनर्गठन में सहायक होंगे और पूँजी तथा कार्य-कौशल के लिए समाप्त हो रहे उद्योगों से तुरंत प्रगतिशील उद्योगों की ओर जाना संभव हो सकेगा।

लघु उद्योग आरक्षण

1.125 लघु उद्योग आरक्षण निवेश नियंत्रण से भिन्न है। जहां विश्व के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों दोनों में लघु और मझौले उद्यमों के लिये विशेष सहायता नीतियां पाई जाती हैं वहां लघु उद्योग के लिये आरक्षण भारत की ही देन है। अप्रैल, 2001 में आयातों पर सभी प्रतिबंधों को हटाये जाने की सन्निकटता को देखते हुए अब समय आ गया है कि लघु उद्योग की सहायता के एक साधन के रूप में आरक्षण की निर्भरता को छोड़ दिया जाये। श्रमिक-बहुलता वाले उद्योग तब बढ़े पैमाने की लागत एवं अवसर का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार चीन के आयातों के बराबर उत्पादन की यूनिट लागत पर आ सकते हैं। जैसाकि लघु उद्योग के लिये आरक्षित अनेक वस्तुओं (जैसे साइकिल, कृषि औजार, वस्त्र) का उपयोग आबादी के निचले 50 प्रतिशत वर्गों द्वारा किया जाता है अतः अनारक्षण से गरीबों की वास्तविक आय बढ़ेगी और इन वस्तुओं की भविष्य में मांग बढ़ेगी।

1.126 पिछले तीन सुधारों के साथ इस सुधार से संगठित उद्योग को अधिक पूँजी की आवश्यकता वाले विनिर्माण से बाहर निकलने और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता वाले विनिर्माण में प्रवेश करने और काफी तेजी से नये रोजगार उत्पन्न करने की सुविधा मिलेगी। चीन के आयातों के साथ प्रतियोगिता करने की इसकी क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी और श्रमिक बहुलता वाले सामानों के निर्यात में बढ़ोतारी होगी।

विद्युत क्षेत्र सुधार

1.127 उत्पादन एवं वितरण लागत पर विद्युत (पावर) मूल्य निर्धारण मात्र एक राजकोषीय आवश्यकता नहीं है बल्कि प्रणाली को बचाने के लिये अनिवार्य है। संप्रेषण एवं वितरण नुकसानों को

युद्ध स्तर पर रोकने की आवश्यकता है ताकि समुचित मूल्य निर्धारण को संभव बनाया जा सके। राज्य सरकारों में संगठित तरीके से विद्युत क्षेत्रकीय सुधार बढ़ाने के लिये एक विशेष कार्यबल स्थापित करने की आवश्यकता है। एक-आधुनिक विद्युत विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसको अपनाने से राज्य विद्युत बोर्डों के सुधारों में मदद मिलेगी ताकि एक मजबूत एवं स्वतंत्र विनियामक तंत्र के अधीन सरकारी, निजी और सहकारिता क्षेत्रक प्रतियोगिता कर सकें।

राज्यों का राजकोषीय घाटा

1.128 वर्ष 1999-2000 में केन्द्र और राज्यों का सम्मिलित राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का लगभग 10 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया था जो वर्ष 1998-99 की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत की बढ़ोतारी है। राजस्वा घाटा भी अनियंत्रणीय सीमा में पहुंचने का खतरा है।

1.129 राज्यों के वितरतों पर भा. रि. बैंक का अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि स.घ.उ. के अनुपात में राज्यों का ऋण जो वर्ष 1990-91 में 19.4 प्रतिशत से कम होकर 1996-97 में 17.8 पर आ गया था, 1999-2000 (सं. अ.) में बढ़कर 21.4 प्रतिशत हो गया था। वर्ष 2000-01 में इसके 22.9 प्रतिशत तक पहुंचने का बजट अनुमान है। वर्ष 1999-2000 में राज्यों का प्राथमिक घाटा स.घ.उ. का लगभग 0.7 प्रतिशत था जो 1990-91 से अधिक है। केन्द्र सरकार की गारण्टी के विपरीत जिसमें पिछले दशक में स.घ.उ. के अनुपात के रूप में कमी आई है, वहां राज्यों द्वारा दी गई गारन्टीयां 1995-96 और 1999-2000 के बीच स.घ.उ. का 0.6 प्रतिशत बढ़ गई है। इस राजकोषीय गिरावट के परिणामस्वरूप सामाजिक क्षेत्रकों में राज्यों का व्यय आगे नहीं बढ़ पाया है। शिक्षा सेवाओं या जनस्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्यों के पास धन नहीं है।

सामाजिक क्षेत्रक सुधार:

1.130 जब तक राजकोषीय स्थिति के नियंत्रण में नहीं लाया जाता तब तक संभावना नहीं है कि राज्यों के पास शिक्षा सुधार पर व्यय करने के लिए अधिक निधियां होंगी। सरकारी व्यय की स्थिति सुधारने के अलावा निजी और सहकारिता प्रयत्नों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा के लिए सरकारी प्रावधान के बढ़ते हुए अन्तराल को पूरा किया जा सके। इसके लिए सभी शिक्षा सेवाओं के निजी प्रावधान हेतु एक सरल और गैर-अफसरशाही वाले नीति तंत्र की आवश्यकता है। धोखेबाज संचालकों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने पर अधिक जोर देते हुए वास्तविक शैक्षणिक संस्थाओं को शोषणकारी नियंत्रकों से मुक्त करने के

लिए एक विनियामक प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

1.131 शहरी आधारभूत सुविधाओं के मामले में भी ऐसे ही सुधार किये जाने चाहिए ताकि अधिकतम संभव निजी भागीदारी प्राप्त की जा सके। तभी इसके बाद राज्य सरकारें गरीब शहरी और अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपने सीमित निवेश बजट को जनहित एवं आधारभूत सुविधा सेवाओं की ओर परिवर्तित कर सकती है।

1.132 राज्यों को विश्व युद्ध II के युग के किराया नियंत्रण अधिनियमों को रद्द करने की भी आवश्यकता है जो शहरी झुग्गी-झोपड़ियों के विस्तार में काफी सहायक रहे हैं। चूंकि किराया नियंत्रण अधिनियम बुनियादी रूप से मालिक से किराए के आवास का स्वामित्व हरण करते हैं और यह अधिकार किरायेदार को हस्तान्तरित करते हैं, अतः किराये के आवास के निर्माण के लिए यह अत्यधिक रूप से हतोत्साहित करते हैं। जिन देशों में कानून नहीं है वहां गरीब और निम्न मध्यम श्रेणी के लोग किराये के आवासों में रहते हैं। हमारे महानगरों में वह झुग्गी-झोपड़ियों में आवास किराये पर देते हैं जहां कोई किराया नियंत्रण कानून नहीं है। जब्ती कानून और नगरपालिका नियमों एवं विनियमों के आधुनिकीकरण के साथ इस सुधार से स्थावर सम्पदा में तेजी आयेगी जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग झुग्गी-झोपड़ियों से निकल कर उचित किराये के आवासों में रहने लगेंगे।

सारांश:

1.133 पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन अच्छा रहा है। वर्ष 1991-92 को समाप्त 12 वर्ष की अवधि के दौरान औसत वार्षिक वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 से 2000-01 के दौरान 6.4 प्रतिशत हो गयी है। इस अवधि के दौरान इसमें महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं जो आर्थिक सुधारों की निरन्तर प्रक्रिया के परिणाम हैं। 1990 के दशक में सुधारों की गति तेज की गई और नये परिवर्तनों, जो इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रकों में लागू किए गए थे, के प्रति अर्थव्यवस्था की अच्छी प्रतिक्रिया रही। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था ने भी 1997-98 के पूर्व एशियाई वित्तीय संकट और हाल में तेल कीमतों की असाधारण वृद्धि जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काफी समुत्थान शक्ति का परिचय दिया है।

1.134 किए गये अनेक परिवर्तनों को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब यह बिलकुल संभव है कि वह इससे भी उच्च प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। फिर भी जैसा कि ऊपर कहा गया है अभी तक किए गये सुधारों के पूरे लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि निकट भविष्य में संगठित तरीके से इन उपायों को पूरा किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि अब तक देश में प्रसुप्त अनेक शक्तियां एवं साधन सक्रिय हो जायेंगे और आर्थिक क्रिया-कलाप बड़े पैमाने पर शुरू हो जायेंगे।